

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-280
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

*280. श्री जगदानंद सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज राजसहायता योजना) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इसके अंतर्गत पात्रता की पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी हुई हैं और ब्याज राजसहायता की राशि सुधारों संबंधी मानकों में प्राप्त प्रगति से संबद्ध है;
- (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा इसके अनुपालन का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बिहार राज्य ने भी इस संबंध में कोई समझौता किया है और वह इसका अनुपालन कर रहा है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक ब्याज सब्सिडी स्कीम राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की गई है। स्कीम के अंतर्गत, वितरण क्षेत्र में संचालन समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पूँजीगत परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान ऋणदाताओं द्वारा मंजूर किए गए 25,000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण की दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक मूल्यांकनों के आधार पर 13 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने की पात्रता होगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों को शामिल नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) : जी हां। राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत पात्रता हेतु पूर्व-शर्त राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी हुई हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से सम्बद्ध पैरामीटरों में प्राप्त प्रगति से जुड़ी हुई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग का प्रचालनीकरण, यूटिलिटियों के टर्नएराउंड के लिए व्यापार योजना तैयार करना, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) का पुनर्गठन, राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों का प्रस्तुतीकरण और प्रशुल्क याचिका को समय पर प्रस्तुत करना पात्रता हेतु पूर्व शर्त हैं। इसके अतिरिक्त, पात्र डिस्कॉमों को एटी एण्ड सी हानियों में कमी, राजस्व अंतर (आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)-प्राप्त सब्सिडी के आधार पर वसूला गया औसत राजस्व) में कमी; इक्विटी और बहुवर्षीय प्रशुल्क (एमवाईटी) पर रिटर्न के लिए अंक दिए जाएंगे।

अब तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में प्रचालनरत राज्य डिस्कॉमों ने ही राष्ट्रीय विद्युत निधि का लाभ प्राप्त किया है।

(घ) और (ड) : जी नहीं। बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2992

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

पाकिस्तान दौरा

†2992. श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत मंत्रालय के किसी शिष्टमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त दौरे के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका व्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी हाँ। संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में चार (4) अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने दिनांक 09.06.2013 से 12.06.2013 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था।

(ग) : उक्त दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रांसमिशन लिंक की संभावना पर चर्चा की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3000

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

पन बिजली परियोजनाओं के प्रभाव

†3000. श्री आधि शंकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भागीरथी और अलकनन्दा नदियों पर पनप रही पन बिजली परियोजनाओं से भयंकर बाढ़ों जिनसे जान-माल की भारी क्षति हो सकती है, की संभावना में बढ़ोतरी होने के अतिरिक्त पहाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाने की योजना है क्योंकि पर्वतों से पिघलती बर्फ और हिमानियों के द्वारा भारी मात्रा में पानी प्राप्त होता है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी नहीं। भागीरथी और अलकनन्दा नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं से पहाड़ों की क्षति होने/बाढ़ आने में संभावना की वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) : हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की आयोजना हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण के पश्चात की जाती है जोकि बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न जल सहित पूर्व में देखे गए/अनुमानित अपवाह पर आधारित होता है। तदनुसार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि संभावित अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ) को प्रवाहित करने में सक्षम हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बर्फ एवं ग्लेशियरों के पिघलने वाला जल शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3001

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कुन्डा विद्युत परियोजना

†3001. श्री ओ.एस. मणियनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु की कुन्डा विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां दे दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और ये स्वीकृतियां कब तक प्राप्त हो जाएंगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग)- तमिलनाडु में 500 मेगावाट कुंडा पम्पड स्टोरेज स्कीम के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) अक्टूबर, 2006 में स्वीकृति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) को प्रस्तुत की गई थी। यह स्कीम कावेरी बेसिन में स्थित है और इसे या तो कावेरी जल विवाद अधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होनी है अथवा पक्षकार राज्यों की अंतर्राज्यीय स्वीकृति पर सहमति की आवश्यकता होती है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26.12.2007 को सीईए द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को वापस कर दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3009

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कोयले का आयात

†3009. प्रहलाद जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयातित कोयले से उत्पादित विद्युत के मामलों, विद्युत के मूल्यों पर हाई-ग्रेड कोयला आयातों का क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि सरकार विद्युत मूल्यों में वृद्धि करने पर सहमत नहीं हो तो क्या विशेष रूप से उन फर्मों जो अपनी परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखने हेतु निम्न-गुणवत्ता वाले कोयले के आयात पर निर्भर हैं, में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-व्यापी प्रयास बाधित होंगे;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार कोयला आयात विद्युत उत्पादनकर्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए राजसहायता प्रदान करने और आयातित कोयले से विद्युत के उत्पादन को और अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए विद्युत प्रशुल्कों में बढ़ोतरी करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) : आयातित कोयले की कीमत अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कारकों जैसे कि ताप गुण, नमी घटक, राख घटक, उत्पत्ति का स्रोत, समुद्री भाड़ा इत्यादि पर निर्भर करती है और सप्ताह दर सप्ताह भिन्न-भिन्न होती है। घरेलू कोयले की कीमत भी कोयले के ग्रेड/जीसीवी मूल्य पर निर्भर करते हुए खदान-दर-खदान अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्रों पर आयातित कोयले की भू-लागत समुद्री तट से इसकी दूरी पर निर्भर करती है। चूंकि समुद्री भाड़ा और देश के भीतर परिवहन लागत मुख्य घटक होते हैं जिनका आयातित कोयले की भू-लागत में योगदान होता है, इसलिए उच्च ग्रेड के कोयले के आयात के परिणामस्वरूप परिवहन लागत में बचत होती है।

(ख) और (ग) : सीईआरसी द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्चतर लागत पर पास-थू के लिए विचार किया जाना है। कोयला मंत्रालय ने नवीन कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) का अनुपूरण करते हुए उपयुक्त आदेश जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने सीईआरसी/एसईआरसी को मामला-दर-मामला आधार पर आयातित कोयले की उच्चतर लागत के पास-थू के लिए निर्णय लेने के लिए विद्युत उत्पादक विशेष के अनुरोध पर विचार करने के लिए उपयुक्त परामर्शी जारी किए हैं। विद्युत की कीमत में अनुवर्ती परिवर्तन उपयुक्त विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) : उपर्युक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3013
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रावधान

3013. राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वास्तविक विद्युत उपभोग से ज्यादा विद्युत उपभोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में ज्यादा प्रभार लिए जाने के साथ-साथ दोषमुक्त मीटर का प्रतिष्ठापन करने के लिए उत्तरदायी कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, संघ सरकार को निजी विद्युत वितरण कंपनियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उन्होंने वास्तविक खपत से अधिक विद्युत की खपत सूचित की हो।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 में अति प्रभार करने वाले और त्रुटिपूर्ण मीटरों की स्थापना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपभोक्ता अति प्रभार के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण मीटरों की स्थापना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) और (6) के अंतर्गत सृजित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3014

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र का कर्ज

†3014. डॉ. संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र पर बहुत अधिक बैंक का बोझ पड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या इस क्षेत्र की सहायता के लिए कॉर्पोरेट निकायों और बड़े निवेशकों से निवेश आमंत्रित किया गया है;
और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : जी हां।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान विद्युत क्षेत्र में सभी यूटिलिटियों के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कुल बकाया ऋण (बॉण्डों सहित) निम्नानुसार है:

<u>वर्ष</u>	<u>बकाया राशि</u> <u>(रु. करोड़ में)</u>
2009-10	2,63,236 रु.
2010-11	3,28,534 रु.
2011-12	3,81,134 रु.

नियोजित वृद्धि लक्ष्य और सतत वृद्धि गति को प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में, विद्युत क्षेत्र के लिए प्रस्तावित निवेश आवश्यकता (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) 15,01,666 करोड़ रुपए है जिसमें से 7,13,827 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से परिकल्पित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3015

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम

3015. श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

श्रीमती पुतुल कुमारी:

श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भोजन बनाने तथा विद्युतीकरण के लिए सभी दूरस्थ ग्रामों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य—वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या योजना के तहत अनेक ग्रामों को कवर करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को कम कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष ग्रामों हेतु निर्धारित लक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान एक पायलट स्कीम अर्थात् ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजना की शुरूआत की थी, जिसके अंतर्गत बायोमास के माध्यम से उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ परीक्षण गांवों को लिया गया है। एमएनआरई

ने देश के 10 राज्यों में इस परीक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 79 गांवों/बस्तियों की पहचान की है, जिसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर विद्युतीकृत सुदूर गांवों और बस्तियों में 20 परीक्षण परियोजनाएं शुरू की गई थीं। कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई परीक्षण परियोजनाओं की राज्यवार संख्या निम्नवत है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	परीक्षण परियोजना की संख्या
1.	असम	14
2.	छत्तीसगढ़	15
3.	गुजरात	2
4.	झारखण्ड	3
5.	मध्य प्रदेश	9
6.	महाराष्ट्र	10
7.	ओडिशा	15
8.	तमिलनाडु	4
9.	उत्तराखण्ड	4
10.	पश्चिम बंगाल	3
कुल		79

(ग) से (ङ): एमएनआरई ने यह सूचित किया है कि सितम्बर, 2009 में योजना आयोग द्वारा किए गए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहले से ही परियोजनाओं को संकुचित करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि किसी नई परियोजना का समर्थन नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न संख्या-3029

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि

3029. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है;
- (ग) क्या राज्य में योजना के अंतर्गत कार्य के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं है। मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियाँ, यथा निर्धारित पिछली किश्त(किश्तों) में राशि के उपयोग के आधार पर और अन्य शर्तों को पूरा करने पर किश्तों में जारी की जाती हैं।

तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिहार राज्य की मंजूर परियोजनाओं के लिए जारी निधियाँ निम्नवत हैं:

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	जारी की गई संचयी राशि (2010-11 से पूर्व जारी राज सहायता सहित)
520.05	260.06	21.06	190.84	3687.65

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्य निम्नवत हैं:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	संचयी (2010-11 से पूर्व की उपलब्ध शामिल है)
गैर-विद्युतीकृत गांव	1,937	1,048	701	112	22,842
आंशिक विद्युतीकृत गांव	2,065	1,145	830	114	5,211
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घर	6,41,016	4,05,736	2,01,081	69,162	24,20,077

(ग) और(घ): बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति सामान्यतया संतोषजनक है। तथापि, प्रगति निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई थी:-

- विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में संस्थापित अवसंरचना की बास-बार चोरी।
- कटिहार जिले में अनुबंध का खराब निष्पादन।
- 16 सब-स्टेशनों के लिए भूमि हस्तांतरण में विलम्ब।
- रेलवे स्वीकृतियों में विलम्ब।
- कुछ जिलों में माओवादी हिंसा सहित कानून एवं व्यवस्था की समस्या।

(डे): भारत सरकार द्वारा आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं-

- (i) भारत सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।
- (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु सभी राज्यों में जिला समितियों की स्थापना की गई है।
- (iii) राज्य, आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठक का आयोजन भी करते हैं।
- (iv) भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेन्सी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सभी पण्धारियों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ बारंबार समीक्षा बैठकें संचालित करते हैं।
- (v) विद्युत मंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु सभी माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा है। उनसे परियोजनाओं की अपने स्तर पर निगरानी करने और जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में भी इस पर विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
- (vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची मद के रूप में “आरजीजीवीवाई की समीक्षा” हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3030

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

एनपीटीआई की क्षमता

†3030. श्री के. सुगुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान देने और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु विशेष अवसर उपलब्ध कराने को कहा है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट(एनपीटीआई) की नई यूनिटों की स्थापना के लिए तीन प्रस्ताव अलप्पुजा, केरल; शिवपुरी, मध्य प्रदेश; और ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ)- "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010" में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणालियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण(ओ एंड एम) में कार्यरत कार्मिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। विनियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि उत्पादन स्टेशन, पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली के सभी स्वामी अपने संस्थानों या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थानों में ओ एंड एम में कार्यरत कार्मिकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3047

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

पारेषण— पथों की क्षमता

†3047. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्तमान में स्थित पारेषण—पथों की क्षमता कितनी है और इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या गुजरात सरकार अंतर-क्षेत्रीय पारेषण—पथों में अवरोधों के कारण विद्युत की कमी वाले राज्यों को अधिशेष विद्युत-मात्रा की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से ऊर्जा प्रणाली विकास निधि में पड़ी हुई राशि का पर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय पारेषण—पथ निर्माण के लिए उपयोग करने का अनुरोध किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): देश में 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार, 2,78,268 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई की पारेषण लाइनें (220 केवी एवं इससे अधिक), अल्टरनेट करंट(एसी) उपकेंद्रों(220केवी एवं इससे अधिक) में 4,69,211 एमवीए की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता, 13,500 मेगावाट की उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करेंट(एचवीडीसी) क्षमता तथा 31,850 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता मौजूद है।

पारेषण लाइनें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) के विनियमों/मानकों के अनुरूप प्रचालित की जाती हैं।

(ख) और (ग): गुजरात में स्थित उत्पादन निकाय, अन्य बातों के साथ-साथ, दक्षिणी क्षेत्र इत्यादि की विद्युत की आपूर्ति में कुछ संकुलता को छोड़कर, शेष सम्पूर्ण देश में विभिन्न भार निकायों/ राज्य यूटिलिटियों को विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हैं। इनईडब्ल्यू ग्रिड(उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिलाकर) से दक्षिणी ग्रिड

के बीच अंतर्रक्षेत्रीय पारेषण की बाधाओं का समाधान रायचूर-सोलापुर 765 केवी लाइनों के चालू होने के साथ हो जाएगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 तथा संबंधित विनियमों में निर्धारित खुली पहुंच के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी(सीटीयू) से अंतर्रक्षेत्रीय/अंतर-राज्य पारेषण पहुंच को प्राप्त करना और विद्युत के आयात के लिए आकलन करना और योजना बनाने का उत्तरदायित्व विद्युत की कमी वाले राज्यों का है।

(घ)और(ङ) : गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने अंतर्रक्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सृजन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि(पीएसडीएफ) के उपयोग के संबंध में 2011 में पहले ही उत्तर दे दिया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पीएसडीएफ, जिसका गठन सीईआरसी द्वारा सीईआरसी(विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 के द्वारा किया गया है, का अंतर्रक्षेत्रीय पारेषण क्षमता की स्थापना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3040

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

ऊर्जा की खपत

†3040. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में प्रतिवर्ष विद्युत की कितनी खपत है;
- (ख) देश की विद्युत-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार का देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को कम से कम बिजली की एक सुनिश्चित मात्रा मुहैया कराने का विचार है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : देश में वर्ष 2010-11 के लिए ऊर्जा की कुल खपत 7,13,067 गीगावाट घंटा है और नवीनतम उपलब्ध वर्ष 2010 के लिए विकसित देशों में समतुल्य खपत का व्यौरा निम्नांकित है:

क्रम सं.	देश	गीगावाट घंटा में ऊर्जा खपत
1	यू.एस.ए.	38,01,921
2	जापान	10,01,837
3	कनाडा	4,69,948
4	ऑस्ट्रेलिया	2,01,221
5	यू.के.	3,28,318

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बेबसाइट।

(ख) से (घ) : देश की विद्युत/इलेक्ट्रिसिटी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और 12वीं योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2016-17 तक अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए भी, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाने के लिए 11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट की उपलब्धि की तुलना में 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट (30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- (ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।
- (iii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास।
- (iv) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।
- (v) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करणों की घरेलू निर्माण क्षमता का संवर्द्धन।
- (vi) विद्यमान उत्पादन क्षमता के अनुकूलतम उपयोग हेतु हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस-आधारित विद्युत रेशनों का समन्वित प्रचालन और अनुरक्षण।
- (vii) स्वदेशी स्रोतों से थर्मल पावर रेशनों को कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।
- (viii) पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (ix) उपलब्ध विद्युत के अनुकूलतम उपयोग के लिए अंतर राज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- (x) हानि कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- (xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता एवं मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ाना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3050
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

†3050. श्री एम.आई. शानवासः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राष्ट्रीय विद्युत नीति में यथा वर्णित तथा वर्ष 2012 तक प्रति परिवार एक यूनिट विद्युत प्रतिदिन प्रदाय करने के न्यूनतम आधारभूत उपभोग का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का उक्त नीति में वर्णित इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय-सीमा को परिवर्तित करने का विचार है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वर्ष 2004-05 में 612 किलोवाट घंटा से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 813 किलोवाट घंटा हो गई है। इसके अतिरिक्त, नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि, पारेषण और वितरण प्रणाली के संवर्द्धन और आरजीजीवीवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बीपीएल परिवारों के लिए बिजली की पहुँच में सुधार होने के साथ बिजली की उपलब्धता में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3054

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

†3054. श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में 33,000 करोड़ रु. कीमत की तेरह परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की अवस्थिति क्या है;
- (ग) ऐसी परियोजनाओं से उत्पादित की जाने वाली संभावित विद्युत की प्रमात्रा कितनी है; और
- (घ) इससे देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में किस हद तक सफलता मिलेगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति(सीसीआई) ने 22.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में लगभग 33,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 13 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। इन परियोजनाओं के स्थान तथा उत्पादित की जाने वाली संभावित विद्युत की मात्रा सहित विवरण अनुबंध पर है। ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने से देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में 4404 मेगावाट तक की कमी आएगी।

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3054 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

पारेषण परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान-स्थिति	परियोजना की किस्म	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	कामेंग-बलिपारा 400 केवी डी/सी लाइन 98.25 एचए, (असम)	असम एवं अरुणाचल प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	65	लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना(2000 मेगावाट) तथा कामेंग जल विद्युत परियोजना(600 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत की निकासी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक उसके पारेषण को सुविधाजनक बनाना।	चरण-। की मंजूरी 6 जनवरी 2010 को प्राप्त चरण-॥ का अनुमोदन 24 जनवरी 2013 को जारी।
2.	कामेंग-बलिपारा 400केवी डी/सी लाइन 133.56 एचए, (अरुणाचल प्रदेश)	असम एवं अरुणाचल प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	क्रम सं. 1 में शामिल	लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना(2000 मेगावाट) तथा कामेंग जल विद्युत परियोजना(600 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत की निकासी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक उसके पारेषण को सुविधाजनक बनाना।	चरण-। की मंजूरी 29 सितंबर 2010. चरण-॥ का अनुमोदन 24 जनवरी 2013 को जारी
3.	पुलिंग स्टेशन बिलासपुर - रांची 765केवी एस/सी लाइन 302.368 एचए (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	458	प्रस्तावित डीवीसी तथा मैथान आरबी उत्पादन परियोजनाओं की विद्युत को पूर्वी,उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न लाभग्राहियों तक अंतरित करने को सुविधाजनक बनाना।	एमओईएफ ने चरण-। का अनुमोदन 28 जनवरी, 2013 को जारी किया.
4.	नेल्लोर-कुर्नुल 765 केवी लाइन, 66 एचए (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	625.8	आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईपीपी की उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक निकासी को सुविधाजनक बनाना।	एमओईएफ ने चरण-। का अनुमोदन 8 जनवरी, 2013 को जारी किया
5.	सिलचर- पूर्बा कंचन बरी (टीएसईसीएल) 400केवी डी/सी लाइन, 13.8 एचए (असम)	असम एवं त्रिपुरा	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	204	पलटाना जीबीपीपी(740 मेगावाट) तथा बोंगाईगांव टीपीएस(750 मेगावाट) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संघटकों तक विद्युत के वितरण को सुविधाजनक बनाना।	चरण-। का अनुमोदन 16 जनवरी, 2013 एवं चरण-॥ का अनुमोदन 8 अप्रैल, 2013.
6.	सिलचर- मेलरियट(नई)	असम एवं मिजोरम	सार्वजनिक	168	पलटाना जीबीपीपी(740 मेगावाट) तथा बोंगाईगांव	चरण-। का अनुमोदन 17 जनवरी 2013 एवं

	400 केवी डी/सी लाइन , 22.7एचए (असम)		(पीजीसीआईएल)		टीपीएस(750 मेगावाट) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संघटकों तक विद्युत के वितरण को सुविधाजनक बनाना ।	चरण ॥ का अनुमोदन 25 मार्च 2013 को जारी ।
7.	रिहंद- विध्याचल 765 केवी डी/सी लाइन टीएल, 104.902 एचए (मध्य प्रदेश)	उ.प्र. एवं म.प्र.	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	100	विध्याचल-IV(2x500 मेगावाट) तथा रिहंद III (2x 500 मेगावाट) उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के संघटकों तक वितरण को सुविधाजनक बनाना ।	एमओईएफ ने चरण-। का अनुमोदन 8 जनवरी, 2013 को जारी किया
8.	रायगढ़ (तमनार)-रायगढ़(कोटरा) 765 केवी डी/सी लाइन, 25.5एचए (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	145	छत्तीसगढ़ में रायगढ़(तमनार) तथा चंपा उत्पादन काम्पलेक्स में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं से पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक विद्युत अंतरण करने को सुविधाजनक बनाना ।	चरण-। का अनुमोदन 17 जनवरी, 2013 को जारी ।
9.	सतना-ग्वालियर 765 केवी एससी/सी टीएल, 31.68 एचए (उत्तर प्रदेश)	म. प्र. एवं उ.प्र.	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	532	विध्याचल-IV(2x500 मेगावाट) तथा रिहंद III (2x 500 मेगावाट) उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के संघटकों तक वितरण को सुविधाजनक बनाना	चरण-। का अनुमोदन 17 जनवरी, 2013 को जारी ।
10.	सासन-सतना सीकेटी.॥ 765केवी एससी/सी 128.553एचए. (मध्य प्रदेश)	म. प्र.	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	374	सासन यूएमपीपी से पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न लाभग्राहियों तक विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।	चरण-। का अनुमोदन 30 जनवरी, 2013 को जारी ।

जल विद्युत परियोजनाएं (कुल 444 मेगावाट)

1.	विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट)	जिला-चमोली, उत्तराखण्ड में अलकनंदा नदी पर स्थित	सार्वजनिक (टीएचडीसी)	अनुमोदित लागत : मार्च'08 के पीएल पर ₹0. 2491.58 करोड़ संशोधित लागत अनुमान अक्टूबर'11 के पीएल पर ₹0. 3745.08 करोड़ सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत	परियोजना नदी के सतत प्रवाह पर बनने वाली स्कीम है जिसमें हेलोंग गांव के निकट 65 मीटर उंचे गेटिड डायवर्जन बांध, जल संवहन प्रणाली और हैट गांव के निकट हैड वर्क्स से 20 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित भूमिगत विद्युत गृह का निर्माण परिकल्पित है और इसकी संस्थापित क्षमता 444 मेगावाट (4x 111 मेगावाट) है	राज्य वन्य जीव मंडल (एसबीडब्ल्यूएल) ने प्रस्ताव को 16.03.13 को मंजूरी दे दी है ।
----	---	---	----------------------	--	---	--

ताप विद्युत परियोजनाएं (कुल 3960 मेगावाट)

1.	नॉर्थ कर्णपुरा	झारखण्ड	सरकार-	ताप विद्युत परियोजना	सीसीआई ने इस
----	----------------	---------	--------	----------------------	--------------

	टीपीपी (3x660 मेगावाट)		पीएसयू (एनटीपीसी)	15,000 (लगभग)	परियोजना के लिए कोयला लिंकेज की बहाली का प्रस्ताव 20.02.13 को अनुमोदित किया । कोयला मंत्रालय ने पत्र जारी किया एनटीपीसी को आगे की कार्यवाही करनी है ।	
2.	नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण I (3x660 मेगावाट)	बिहार में औरंगाबाद, जिले में नबीनगर के निकट	नबीनगर पावर जेनरेटिंग कं. लि. (एनटीपी सी लि. एं बीएसईबी की जेवी कंपनी) (एनटीपीसी)	13624.01	नई परियोजना 2832 एकड़ अपेक्षित(चरण-3x660 मेगावाट + चरण-II 3x660 मेगावाट) चरण-I (3x660 मेगावाट) के लिए प्रारंभिक आवश्यकता = 1335 एकड़ जेवी बोर्ड द्वारा 05.04.2012 को संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित की गई ।	कार्य अवार्ड किया जा चुका है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3058

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

नवीकरणीय खरीद दायित्व

†3058. श्री पी. करुणाकरनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से आज की तिथि तक अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) के मुद्दे पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा की गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का सीईआरसी से इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने का अनुरोध करने का प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए विनियमों में आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ): विद्युत अधिनियम, 2003 में कुशल और पर्यावरणीय रूप से हितकर नीतियों और उसके साथ संबद्ध अथवा उसके अनुषांगिक मामलों के प्रोत्साहन की व्यवस्था है और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ङ) में अपने-अपने राज्यों में दायित्व वाली कम्पनियों के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) लक्ष्य को विनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों(एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों(जेईआरसी) को अधिदेशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 6.1.2006 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इन

संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा। अधिनियम और नीति में उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) से अधिक दायित्व वाली कम्पनी द्वारा विद्युत की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र(आरईसी) मैकेनिज्म केन्द्र और राज्यों में विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अवसंरचना को प्रभाव में लाने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने ''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विनियम 2010 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता देने एवं जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तों पर'' पर विनियम जारी किए हैं। बहुत से राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) को पूरा करने के लिए वैद्य उपकरण के रूप में आरईसी का मान्यता देते हुए विनियम भी तैयार किए हैं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग समय-समय पर विद्युत अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मामलों पर विचार करता है एवं निर्णय लेता है जिसमें इस संबंध में विनियमों का संशोधन किया जाना/जारी किया जाना शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3077

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

दीर्घकालिक वायदा संविदा

†3077. श्री पी. कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को बाजार के भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक वायदा संविदाओं को शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या उक्त प्रस्ताव से अतिरिक्त विद्युत के व्यापार में मदद मिलेगी जिसे वर्तमान में द्विपक्षीय संविदाओं के माध्यम से किया जाता है तथा क्या इससे विद्युत मूल्य की स्पष्टता को प्रदान किए जाने की संभावना है जिससे मूल्य जोखिमों के विरुद्ध उत्पादकों को बचाव हेतु वायदा की खरीद/बिक्री की सुविधा मिलती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और(ख) जी हां। विद्युत एक्सचेंजो द्वारा दायर याचिका पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग(सीईआरसी) द्वारा यह कहा गया है कि चूंकि लांगटर्म फारवर्ड कान्ट्रेक्ट, जिसका एक्सचेंज पर व्यापार किया जा सकता है, पर विनियामक क्षेत्राधिकार का मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, इसलिए इस स्तर पर मामले में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

(ग) और(घ): जी हां। लांगटर्म फारवर्ड कान्ट्रेक्ट उत्पादन और वितरण कंपनियों दोनों के लिए बाजार के भागीदारों को लाभ प्रदान करने की संभाव्यता है। दीर्घकालिक संविदाएं उत्पादकों और वितरण कंपनियों दोनों को बाजार मूल्य की अस्थिरता से इन्सुलेट करती हैं और निश्चितता लाती हैं। चूंकि कारोबार के समय मूल्य और सुपुदर्गी शर्तें पार्टियों के बीच तय की जाती है, इसलिए ये संविदाएं विद्युत क्षेत्र भागीदारों को मात्रात्मक जोखिम (आपूर्ति और प्राप्ति की सुनिश्चितता) और मूल्य जोखिम (क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए निधारित मूल्य की निश्चितता) दोनों की व्यवस्था करने के लिए सहायता करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3082

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत आपूर्ति हेतु निधि

3082. श्री प्रेमचंद गुड्डू:

श्री देवराज सिंह पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश को स्वीकृत निधि का व्यौरा क्या है;
- (ख) मध्य प्रदेश को जारी कुल निधि में से रीवा क्षेत्र को प्राप्त निधि का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में अटल ज्योति अभियान योजना जैसी राज्य योजनाओं में अपने वित्तीय अंशदान का प्रचार करने के लिए राज्य अनुदानों की महत्ता पर जोर देती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है जहां केन्द्र के अंशदान को प्रचारित नहीं किया गया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और उप-पारेषण एवं वितरण का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार परिशोधित ढंग से उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करने में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है जिसके लिए आर-एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों और वितरण यूटिलिटियों को सहायता प्रदान की जाती है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आर-एपीडीआरपी)

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, राज्यों को पहले से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है बल्कि परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मंजूर परियोजनाओं के लिए किश्तों में ऋण के रूप में जारी की जाती है। स्कीम के मानदण्डों के अनुसार ये ऋण अनुदान में परिवर्तनीय होते हैं।

अब तक, आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को 457 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। इसमें से, रीवा जिले में रीवा शहर के लिए 9.68 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। रीवा जिले में कोई अन्य शहर आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु पात्र नहीं है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाइ)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किसी राज्य के लिए निधियों का पहले से कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। निधियाँ पूर्व किस्त(किस्तों) में राशि के सूचित उपयोग और अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर मंजूर परियोजनाओं के लिए किश्तों में जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए आरईसी द्वारा सब्सिडी के रूप में 808.40 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। संचयी रूप से, मध्य प्रदेश को 1589.48 करोड़ रुपये(2010-11 से पूर्व वितरित सब्सिडी सहित) की राशि वितरित की गई है जिसमें से 31.47 करोड़ रुपये की राशि रीवा जिले को वितरित की गयी है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3102
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

हरित ऊर्जा गलियारा

†3102. श्री प्रदीप माझी:

श्री सुरेश कलमाडी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और जर्मनी के बीच दूसरे दौर का अंतर-शासकीय परामर्श हुआ था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों पक्षों के बीच किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;
- (ग) क्या दोनों देश हरित ऊर्जा गलियारा स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जर्मनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकास, तकनीक और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या हरित ऊर्जा गलियारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन कर राष्ट्रीय ग्रिड की सहायता करेगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : बर्लिन में, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को आयोजित भारत-जर्मनी परामर्श के दौरान, जर्मनी की तरफ से अगले छः वर्षों के लिए भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत हरित ऊर्जा गलियारा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु एक बिलियन यूरो तक के केएफडब्ल्यू से रियायती ऋण की इच्छा व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में दिनांक 22-23 जुलाई, 2013 को आयोजित भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ता की बैठक के दौरान, जर्मन पक्ष हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निम्नलिखित धनराशि हेतु वचनबद्ध है:-

वित्तीय सहायता:- कम ब्याज पर ऋण के तौर पर 250 मिलियन यूरो।

तकनीकी सहायता:-

- (i) भारत-जर्मनी ऊर्जा कार्यक्रम हेतु 2 मिलियन यूरो-हरित ऊर्जा गलियारा पर नया घटक; और
(ii) नवीकरणीय ऊर्जाओं का भारतीय विद्युत प्रणाली (आई-आरई) में एकीकरण करने हेतु 2 मिलियन यूरो।

(घ) और (ङ) : हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकरण करने में सहायता मिलेगी। इसमें पवन और सौर परियोजनाओं से विद्युत की निकासी हेतु अंतर-राज्यीय और अन्तःराज्यीय दोनों स्कीमें शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3108
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को
निधियां

†3108. श्री सुल्तान अहमद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को निधियां जारी कर दी हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) आज की तिथि के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र में बीपीएल घरों सहित घरों के विद्युतीकरण का व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी पावरग्रिड (पीजीसीआईएल), को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत पश्चिम बंगाल की मिदनापुर वेस्ट की पूरक परियोजना के लिए 7.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी की गई है।

(ग) : 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 55,396 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 31.07.2013 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 55,297 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3111

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाएं

†3111. श्री तकाम संजयः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्वोत्तर (एन.ई.आर.) में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का व्यौरा क्या है और इनके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और
- (ख) लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सहित इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा और चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम सहित 14 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। व्यौरे निम्नवत हैं:-

क्रम सं.	परियोजना/क्षमता/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम	राज्य	चालू किए जाने की संभावना
केन्द्रीय क्षेत्र			
1	सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना(एचईपी) $8 \times 250 = 2000$ मेगावाट एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश /असम	2016-18
2	कार्मेंग एचईपी $4 \times 150 = 600$ मेगावाट नीपको	अरुणाचल प्रदेश	2016-17
3	पारे एचईपी $2 \times 55 = 110$ मेगावाट नीपको	अरुणाचल प्रदेश	2014-15
4	तुरीयल एचईपी $2 \times 30 = 60$ मेगावाट नीपको	मिजोरम	2016-17
राज्य क्षेत्र			
1	न्यू उमत्रू $2 \times 20 = 40$ मेगावाट मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड(एमईसीएल)	मेघालय	2014-15
निजी क्षेत्र			
1	तीस्ता-III $6 \times 200 = 1200$ मेगावाट तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	सिक्किम	2014-15
2	तीस्ता -VI $4 \times 125 = 500$ मेगावाट लेनको	सिक्किम	2015-16
3	रंगित-IV	सिक्किम	2014-15

	3x40= 120 मेगावाट जल पावर कारपोरेशन लि.		
4	जोरेंग लूप 2x48 = 96 मेगावाट डांस एनर्जी प्रा.लि.	सिक्किम	2014-15
5	भासमे 3x17= 51 मेगावाट गति इन्फ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा.लि.	सिक्किम	2015-16
6	ताशीडिंग 2x48.5 = 97 मेगावाट शिंगा एनर्जी प्रा.लि.	सिक्किम	2017-18
7	डिम्बु 3x32=96 मेगावाट स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	सिक्किम	2017-18
8	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर लि.	सिक्किम	2017-18
9	रोंगनीचू 2x48= 96 मेगावाट मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	सिक्किम	2017-18
Total : 5132 मेगावाट			

(ख) सरकार द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने तथा परियोजनाओं को चालू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) द्वारा परियोजनाओं की निगरानी, बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए विकासकर्ताओं के साथ समीक्षा , विद्युत परियोजना निगरानी पैनल(पीपीएमपी) द्वारा स्वतंत्र अनुवर्तन और प्रगति की निगरानी इत्यादि।

अरुणाचल प्रदेश/असम में सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (8X250 मेगावाट) पर कार्य दिसम्बर, 2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन के कारण रोक दिया गया था। मंत्रालय, द्वारा दिसम्बर, 2012 में बांध की डिजाइन संबंधी समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) का गठन किया गया था जिसने जून, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और एनएचपीसी को परियोजना आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3114

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के
अंतर्गत प्रस्ताव

3114. श्री श्रीपाद येसो नाईकः

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत अनुमोदन हेतु सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किए गए प्रस्तावों का व्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों जो अभी तक लंबित हैं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; और
- (ग) सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कुल 170 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से, 82 प्रस्ताव योग्य पाए गए थे और स्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार व्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : 12वें योजना आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के आधार पर, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के अनुसार 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों/वासस्थलों के विद्युतीकरण शुरू करने हेतु विचार किया जाना है।

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3114 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त तथा अनुमोदित राज्य-वार परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		Total			
		प्राप्त	अनुमोदित	वापस	शेष								
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
4	बिहार	0	0	20	11	0	0	0	0	20	11	9	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2	1	0
6	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हरियाणा	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखण्ड	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
11	कर्नाटक	0	0	2	2	1	0	0	0	3	2	1	0
12	केरल	0	0	7	7	1	0	0	0	8	7	1	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	20	20	0	0	4	4	24	24	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	69	0	0	22	0	0	1	6	70	28	42	0
26	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	कुल	99	0	62	72	4	0	5	10	170	82	88	0

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3114 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

State-wise projects received and approved during last 3 years & current year

S. No	Name of State	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		Total		
		Recei- ved	Appro- ved	Balance								
1	Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Assam	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4	Bihar	0	0	20	11	0	0	0	0	20	11	9
5	Chhattisgarh	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2	1
6	Gujarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Haryana	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
8	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
11	Karnataka	0	0	2	2	1	0	0	0	3	2	1
12	Kerala	0	0	7	7	1	0	0	0	8	7	1
13	Madhya Pradesh	0	0	20	20	0	0	4	4	24	24	0
14	Maharashtra	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
15	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Orissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Punjab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Rajasthan	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
22	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tamil Nadu	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
24	Tripura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Uttar Pradesh	69	0	0	22	0	0	1	6	70	28	42
26	Uttarakhand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	West Bengal	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	Total	99	0	62	72	4	0	5	10	170	82	88

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3128

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

झारखण्ड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के
विद्युत संयंत्र

†3128. श्री अजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हजारीबाग, झारखण्ड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) के विद्युत संयंत्रों की स्थापना में भूमि संबंधी मुददों के बारे में स्थानीय असंतोष के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों की मौतें हुई हैं तथा वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उच्च-स्तरीय जांच शुरू की है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और उक्त विद्युत संयंत्र के शीघ्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, नहीं। एनटीपीसी ने झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3138

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत कंपनियों को हो रही हानि

3138. श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कई राज्यों में विद्युत कंपनियां कोयले की और निधियों की कमी के कारण घाटे में चल रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मध्य प्रदेश सहित कठिनाई राज्यों में विद्युत वितरण हानि में तीव्र वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : जी, हां। बहुत से राज्यों की विद्युत यूटिलिटियां ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता और वित्तीय कठिनाईयों के कारण हानियों में चल रही है। ईंधन की कमी कोयला और गैस उपलब्धता दोनों से संबंधित होती है। राज्य वितरण कंपनियों की वित्तीय कठिनाईयां उनकी संचित हानियों मुख्य रूप से आपूर्ति की गई विद्युत की प्रति यूनिट वसूल किए गए औसत राजस्व से अधिक होने के कारण हुई हैं।

देश में वर्ष 2003-04 से 2011-12 तक मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पारेषण एवं वितरण (टी एण्ड डी) हानियों का व्यौरा अनुबंध में संलग्न है। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ट्रांसफोर्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों (अलेखांकित ऊर्जा सहित) गिरते हुए रुझान को दर्शाता है।

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3138 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

ट्रांसफोर्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत (अलेखांकित ऊर्जा सहित)

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्तरी क्षेत्र	1 हरियाणा	32.07	32.11	30.51	33.35	32.83	30.74	31.00	29.66	28.58
	2 हिमाचल प्रदेश	22.76	28.90	23.55	19.77	16.98	15.51	20.52	22.22	18.62
	3 जमू व कश्मीर	45.54	41.08	44.93	51.98	55.71	58.02	67.35	63.27	61.78
	4 पंजाब	25.96	25.42	27.56	26.61	22.82	23.08	23.39	25.10	23.08
	5 राजस्थान	43.74	44.68	39.92	35.60	34.71	31.47	29.99	27.87	27.94
	6 उत्तर प्रदेश	35.17	34.39	32.63	33.49	28.60	30.94	33.15	34.01	32.35
	7 उत्तराखण्ड	49.23	39.30	35.96	34.48	35.66	41.79	25.27	29.97	28.67
	8 चंडीगढ़	39.06	30.37	31.64	25.13	23.77	22.36	23.19	20.25	23.67
	9 दिल्ली	43.66	45.40	48.61	33.00	28.65	22.22	22.09	20.04	19.32
पश्चिम क्षेत्र	1 गुजरात	24.20	30.43	27.91	24.87	26.13	24.07	22.77	19.24	21.81
	2 मध्य प्रदेश	41.44	41.30	40.07	39.24	35.64	38.46	38.32	37.62	34.47
	3 छत्तीसगढ़	42.55	28.06	31.06	31.71	29.79	26.38	18.62	15.06	16.45
	4 महाराष्ट्र	34.12	32.40	31.60	31.64	29.79	23.88	25.16	20.68	19.99
	5 दादर व नागर हवेली	15.10	16.00	19.94	11.22	18.10	15.57	11.22	10.14	12.07
	6 गोवा	45.05	35.97	19.68	20.90	21.18	17.12	16.99	15.27	12.43
	7 दमन व दीव	16.88	15.56	21.58	22.09	23.29	20.06	17.19	16.83	14.50
दक्षिणी क्षेत्र	1 आंध्र प्रदेश	27.73	23.96	20.06	18.65	22.41	19.56	18.37	16.59	17.46
	2 कर्नाटक	23.29	26.08	29.77	25.91	18.87	17.03	18.76	17.34	12.66
	3 केरल	21.63	22.48	23.50	19.11	17.81	13.16	19.59	18.29	17.23
	4 तमिलनाडु	17.16	19.28	18.66	19.54	18.71	18.14	18.41	13.47	16.34
	5 लक्ष्मीप	11.85	10.20	11.19	12.87	18.05	24.87	11.59	25.65	22.47
	6 पुडुचेरी	11.60	18.15	18.48	18.76	5.89	12.24	11.84	12.41	14.66
पूर्वी क्षेत्र	1 बिहार	36.66	38.88	43.96	50.67	48.79	46.37	43.58	50.77	50.89
	2 झारखण्ड	25.35	19.62	26.82	26.21	23.16	24.27	22.24	17.07	14.34
	3 ओडिशा	57.09	44.02	45.56	40.86	39.44	42.65	37.00	42.47	44.63
	4 सिक्किम	54.99	50.49	10.73	26.86	36.80	38.80	39.01	33.67	31.12
	5 पश्चिम बंगाल	31.01	28.54	24.84	23.64	21.29	16.79	18.33	22.40	23.19
	6 अंडमार निकोबार द्वीपसमूह	25.95	12.63	24.32	23.10	26.86	24.16	19.76	20.68	18.16
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1 असम	39.31	51.76	40.34	33.69	38.60	37.59	32.82	34.17	33.48
	2 मणिपुर	65.18	70.61	63.12	53.47	63.56	63.37	54.66	50.87	40.45
	3 मेघालय	16.73	28.35	40.19	35.34	37.62	37.45	39.06	35.77	30.97
	4 नागालैण्ड	55.00	48.26	58.99	54.79	55.61	58.30	56.91	48.24	41.53
	5 त्रिपुरा	46.44	59.54	41.11	34.75	42.81	35.78	35.55	27.36	39.07
	6 अरुणाचल प्रदेश	47.54	42.96	49.72	57.79	67.20	46.88	48.04	47.12	46.25
	7 मिजोरम	55.54	66.14	39.19	38.18	44.63	52.70	53.80	45.63	47.73
अंगिल भारत		32.53	31.25	30.42	28.65	27.20	25.47	25.39	23.97	23.65
स्रोत : सीईए. (सामान्य समीक्षा)										

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3143

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत की कमी

3143. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद् (ईएसी) ने देश में विद्युत की कमी की समस्या को उद्घृत किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए ईएसी द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- जी नहीं ।

(ग)- उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3144

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कोयले का आयात

3144. श्री विलास मुत्तेमवारः

श्री पी. करुणाकरनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विभिन्न विद्युत कंपनियों के लिए कोयले का आयात करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुल आयातित कोयले के साठ प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल ऐसे विद्युत संयंत्रों में किया जाएगा जिन्हें घरेलू कोयले के उपयोग के लिए निर्मित किया गया है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) कोयले के ऐसे आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- जी हाँ । वर्ष 2013-14 के दौरान 36 विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित किया जाने वाला कुल अनुमानित कोयला 82 मिलियन टन(एमटी) है जिसमें घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए 27 विद्युत संयंत्रों के लिए 50 एमटी और 9 विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर तैयार 32 एमटी शामिल है ।

वर्ष 2013-14 के लिए 516 एमटी की कुल घरेलू कोयला माँग की तुलना में, सीआईएल एससीसीएल और कैप्टिव खानों से सुनिश्चित घरेलू कोयले की उपलब्धता केवल 441 एमटी थी जिसमें 75 एमटी की कमी हुई । 75 एमटी घरेलू कोयले की इस कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को आयातित कोयले की समतुल्य ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू(जीसीवी) के अनुसार 50 एमटी आयातित कोयले के आयात की सलाह दी गई है ।

(ङ)- आयातित कोयले का मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ हीट वैल्यू आर्क्टा घटक, गाद घटक, उत्पत्ति के स्रोत, समुद्री भाड़े आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, 6300 किलो कैलोरी/किलोग्राम जीसीवी आयातित कोयले के लिए 80 अमरीकी डालर(यूएसडी) के औसतन लैंडेड प्राइस को अपनाते हुए, कुल विदेशी विनिमय लगभग 6,560 मिलियन अमरीकी डालर के शामिल होने की संभावना है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3148

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

आर-एपीडीआरपी के तहत आबंटन

†3148. डॉ. संजय जायसवाल:

श्री एंटो एंटोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा संस्थीकृत और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्य सरकारों द्वारा निधि के त्वरित उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस स्कीम के तहत सबरीमाला और इसके आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत वितरण किया गया है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए अब तक कितनी राशि संवितरित की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम(आर-एपीडीआरपी) का अनुमोदन किया है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-। पर दी गयी हैं।

(ख): आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, निधियाँ परियोजनाओं के प्रगति के आधार पर और पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर किश्तों में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में जारी की जाती हैं। अब तक (22 अगस्त, 2013 के अनुसार), आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 34984.34 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्थीकृत की गई हैं। संचयी रूप से, संस्थीकृत परियोजनाओं के लिए, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 6999.91 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों को संस्थीकृत और वितरित केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि अनुबंध-॥ पर संलग्न है।

(ग): आर-एपीडीआरपी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और नोडल एजेंसी, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड(पीएफसी) की भूमिका भाग-क के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और जारी करने, डीपीआर प्रपत्रों, परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों को उपलब्ध कराने, भाग-क के लिए परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन और उनकी स्वीकृति के लिए आर-एपीडीआरपी स्थायी समिति को प्रस्तुत करने, दिशानिर्देशों के अनुसार संवितरण की व्यवस्था कराने की है।

विद्युत मंत्रालय और नोडल एजेंसी, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, सभी राज्यों में आर-एपीडीआरपी परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी भी करते हैं और स्कीम के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले मुद्दों के संबंध में राज्य यूटिलिटियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह देते हैं।

(घ)और(ङ): आर-एपीडीआरपी दिशानिर्देशों के अनुसार, 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहर स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के पात्र हैं। चूंकि 2001 में भारत की जनगणना द्वारा जारी की गई शहरों की सूची में 'सबरीमाला' का नाम अंकित नहीं है, अतः यह स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3148 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुर्नगठित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अनुमोदन प्रदान किया है। आर-एपीडीआरपी का विशेष फोकस परियोजना क्षेत्रों में सतत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक(एटी व सी) हानि कमी के संबंध में युटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर होता है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ली जाती हैं। स्कीम के तीन भाग-भाग(क), भाग(ख) और भाग(ग) हैं।

भाग(क)- स्कीम का भाग(क) 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगरों में विश्वसनीय एवं जाँच योग्य आधारभूत आँकड़ा प्रणाली प्राप्त करने के लिए सूचना तकनीक युक्त प्रणाली की स्थापना के लिए समर्पित है। भाग(क) के अंतर्गत 4 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के लिए स्काडा/डीएमएस की संस्थापना और 350 एमयू से अधिक की वार्षिक निवेश ऊर्जा भी परिकल्पित है। स्काडा प्रणालियाँ विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दक्षता को सुधारों के लिए वैद्युत पैरामीटरों की वास्तविक निगरानी एवं नियंत्रण को सक्षम बनाएंगी। भाग (क) परियोजनाओं के लिए आरएपीडीआरपी के अंतर्गत 100% ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इसे विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों(टीपीआईईए) द्वारा इसकी पूर्णता एवं जाँच होने पर अनुदान में परिवर्तित की जाएगी।

भाग(ख)- भाग(ख) में नियमित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजनाओं का विवरण है। भाग(ख) के लिए बल सतत आधार पर एटी एंड सी हानि कमी पर है। भाग (ख) पर उन नगरों के लिए मंजूरी हेतु विचार किया जाता है जहाँ भाग(क) (आईटी) का कार्यान्वयन किया जाता है। 25% ऋण भाग(ख) परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और 50% तक की योजना लागत पाँच वर्षों (वर्ष दर वर्ष के पश्चात् शुरू करते हुए प्रथम वर्ष के साथ जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की आधारभूत आँकड़ा प्रणाली(भाग-क) स्थापित है) के लिए 15% स्तर पर एटी एंड सी हानि स्तर को बनाए रखने की सीमा पर और आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार तीन वर्षों की मंजूरी के भीतर परियोजना के पूरा होने पर निर्भर करते हुए अनुदान में परिवर्तनीय होता है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए, भाग-ख परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 90% ऋण प्रदान किया जाता है और समग्र भारत सरकार का ऋण पाँच वर्षों(वर्ष दर वर्ष के पश्चात् शुरू होते हुए प्रथम वर्ष के साथ जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की आधारभूत आँकड़ा प्रणाली(भाग-क) स्थापित है) के लिए 15% स्तर पर एटी एंड सी हानि कमी को बनाए रखने की सीमा पर निर्भर करते हुए पाँच भागों में अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 15% से अधिक के एटी एंड सी हानि स्तर को प्राप्त करने से उस वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुदान को ऋण परिवर्तन करने में कम हो जाएगा। भाग(ख) के लिए 10% तक की योजना लागत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान में

परिवर्तित की जा सकती है और 18% तक की योजना लागत को विशेष श्रेणी राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है।

भाग(ग)

आरएपीडीआरपी में स्कीम के भाग(ग) के माध्यम से यूटिलिट कार्मिकों के क्षमता निर्माण और फ्रैचाइजियों के विकास का भी प्रावधान है। भाग(ग) के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड सहित नवीनीकरण अपनाने वाली कुछ पायलट परियोजनाएँ भी परिकल्पित हैं।

स्कीम परिव्यय

यह कार्यक्रम 51,577 करोड़ रुपये का है। भारत सरकार से कुल ऋण का अनुमान 31,577 करोड़ रुपये लगाया गया है। ब्यौरा निम्नवत हैं-

- परियोजनाओं के भाग(क) और भाग(ख) के लिए 50,000 करोड़ रुपये।
- भाग(क) के कार्यकलापों के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
- भाग(ख) कार्यों के लिए 40,000 करोड़ रुपये। (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी के भाग(ख) के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपये तक की स्कीमों को अलग से मँजूरी दी है। इसमें से, 20,000 करोड़ रुपये तक की राशि परियोजना क्षेत्रों में यूटिलिटियों द्वारा एटी एंड सी हानियों को कम करने की सीमा पर निर्भर करते हुए अनुदान में परिवर्तित की जाएगी।)
- विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सक्षम कार्यों के लिए 1,177 करोड़ रुपये(नोडल एजेंसी शुल्क), क्षमता निर्माण, नई नवीनताओं को अपनाने वाली पायलट परियोजनाएँ)
- आधारभूत ऑकड़ों की स्थापना और एटी एंड सी हानियों में लक्षित कमी को प्राप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्रों के यूटिलिटी स्टाफ को प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये।

नोडल एजेंसी

विद्युत वित्त निगम को विद्युत मंत्रालय द्वारा स्कीम के प्रचालनीकरण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। नोडल एजेंसी ने प्रक्रिया परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है और सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसियों, स्काडा/डीएमएस परामर्शदाताओं, स्काडा कार्यान्वयन एजेंसियों और तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों-ऊर्जा लेखा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध किया है।

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3148 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्षवार स्वीकृति एवं संवितरण
सभी राशि करोड़ रुपये में

(22-अगस्त-13 के अनुसार)

राज्य	यूटिलिटी	स्वीकृतियां				संवितरण			
		स्वीकृतियां 2010-11	स्वीकृतियां 2011-12	स्वीकृतियां 2012-13	स्वीकृतियां 2013-14	संवितरण 2010-11	संवितरण 2011-12	संवितरण 2012-13	संवितरण 2013-14
हरियाणा	कुल	230.69	442.89	0.00	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	337.52	16.79	0.00	0.00	101.25	0.00	29.59	0.00
जम्मू व कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	17.50	1718.16	0.00	0.00	5.25	515.45	0.00	0.00
पंजाब	पीएसईबी	0.00	1050.26	0.00	0.00	0.00	207.41	10.26	13.50
चंडीगढ़	ईडी	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	कुल	1448.62	0.00	-4.40	0.00	252.21	0.00	36.07	0.00
उ. प्र.	कुल	1831.70	1732.59	1824.44	683.24	274.76	60.33	302.00	84.61
उत्तराखण्ड	यूपीसीएल	0.00	409.18	191.46	0.00	0.00	33.59	117.79	0.00
कुल यूटिलिटी(उत्तर)		3899.37	5369.87	2011.50	921.39	633.48	816.78	495.71	98.11
म. प्र.	कुल	1709.09	70.03	44.91	0.00	254.24	41.62	38.51	0.00
गुजरात	कुल	259.11	5.36	-39.77	0.00	190.62	0.00	55.99	28.79
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	0.00	751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85	0.00
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	1793.51	1682.31	154.54	0.00	197.09	344.02	125.01	0.00
गोआ	गोआ ईडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पश्चिम)		3761.71	2509.00	159.68	0.00	641.95	385.63	338.36	28.79
आंध्र प्र.	कुल	876.36	65.15	238.08	71.05	124.32	35.05	11.90	84.44
कर्नाटक	कुल	149.30	0.00	-162.40	0.00	100.83	41.75	0.00	68.24
केरल	के एसईबी	926.33	28.99	206.13	0.00	75.51	80.25	30.92	0.00
तमिलनाडु	टीएनईबी	3357.82	0.00	-1088.68	0.00	526.23	4.77	0.00	0.00
पुडुचेरी	पीडी	0.00	0.00	98.67	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
कुल(दक्षिणी)		5309.81	94.14	-708.20	71.05	826.89	166.31	42.82	152.68
बिहार	बीएसईबी	0.00	647.18	530.05	0.00	0.00	0.00	82.53	0.00
झारखण्ड	जे एसईबी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00
प. बंगाल	डब्ल्यूईडीसीएल	551.41	161.15	7.28	0.00	82.05	45.87	55.87	0.00
कुल (पूर्व)		551.41	808.33	537.33	0.00	82.05	64.05	138.40	0.00
असम	एपीडीसीएल	0.60	665.87	0.00	0.00	0.00	124.15	75.79	0.00
अरुणाचल	पीडी	37.68	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	पीडी	34.58	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	पीडी	0.00	0.00	398.87	0.00	9.47	0.00	119.66	0.00
मेघालय	एमईएसईबी	0.00	0.00	0.00	159.73	10.19	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	पीडी	0.86	0.00	0.00	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	पीडी	68.46	0.00	0.00	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	पीडी	0.82	148.26	16.83	0.00	0.00	43.07	6.71	0.00
कुल(पूर्वोत्तर)		143.00	814.13	415.70	159.73	72.41	167.22	202.16	0.00
कुल		13665.30	9595.47	2416.01	1152.17	2256.78	1600.00	1217.45	279.58

टिप्पणी: परियोजना लागत जो ऋणात्मक दिखाए गए हैं आर-एपीडीआरपी स्टीयरिंग कमिटी के 27वीं मीटिंग में जो 18 फरवरी 2013 को सचिव(विद्युत) की अध्यक्षता में की गई थी द्वारा निरस्त कर दी गई है

(स्रोत: पीएफसी)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3149

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

†3149. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री आनंदराव अडसुलः

श्री गजानन धू. बाबरः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऐसे विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा इसे नया जीवन देने के लिए सुधार लागू किए हैं जहां निवेश रुक गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे विद्यमान प्रतिस्पर्धी रूप से बोली लगायी गई परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता से जुड़े मुद्दों का समाधन करें;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र में निवेश के वातावरण में सुधार लाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी और इससे देश में अधिक विद्युत उत्पादन को सुकर बनाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): विद्युत अधिनियम, 2003 ने विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार एवं उपयोग और विद्युत उद्योग के विकास में प्रेरक उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्द्ध को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ के योक्तिकीकरण, सब्सिडी से संबंधित पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करने, कुशल और पर्यावरणीय रूप से हितकर नीतियों को प्रोत्साहित करने आदि और उससे आनुषांगिक मामलों के लिए कानूनों का समेकन किया है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को आर्थिक दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2006 में प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है। वितरण लाइसेन्सियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति और पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश एवं मानक बोली दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, जल विद्युत नीति भी अधिसूचित की गई है। इसके अलावा, एपीडीआरपी और आरएपीडीआरपी स्कीमों के माध्यम से वितरण सुधार शुरू किए गए हैं। सार्वजनिक और निजी विद्युत यूटिलिटियों को अपने वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए सुधारों से सम्बद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत निधि(एनईएफ) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग)से(ङ): सरकार ने घरेलू कोयले की ईंधन जोखिम उपलब्धता, कोयला निर्यात करने वाले देशों में ईंधन की कीमतों में परिवर्तन के कारण मूल्य जोखिम, कोयला ब्लाकों से संबंधित पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति में विलम्ब/अस्वीकृति आदि के सम्बद्ध में विभिन्न पण्धारियों से संदर्भ प्राप्त किए थे। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, विद्युत मंत्रालय मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है जोकि भावी परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

आयातित कोयले की अधिक लागत पर सीईआरसी, द्वारा सुझाए गए तौर तरीकों के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाना है। कोयला मंत्रालय ने नई कोयला वितरण नीति(एनसीडीपी) का समर्थन करते हुए उपर्युक्त आदेश जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने मामला-दर-मामला आधार पर आयातित कोयले की अधिक लागत की स्वीकृति के लिए निर्णय लेने हेतु व्यक्तिगत विद्युत उत्पादकों के अनुरोध पर विचार करने के लिए सीईआरसी/एसईआरसी को उपयुक्त परामर्शिका जारी की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3152

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों का निर्माण

3152. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि के अनुसार निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों की स्थिति क्या है;
- (ख) उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो अपने निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं;
- (ग) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो अपनी निर्धारित समय-सीमा से पांच वर्षों से अधिक समय से पीछे चल रही हैं;
- (घ) इन परियोजनाओं के अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चलने के मुख्य कारण क्या हैं; और
- (ङ) इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): देश में निर्माणाधीन और अपने नियत कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाओं सहित ताप और जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की स्थिति का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ग): निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं जो अपने निर्धारित समय से पांच वर्षों से अधिक पीछे चल रही हैं उनका विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है। कोई भी ताप विद्युत परियोजना पांच वर्षों से अधिक अपने निर्धारित समय से पीछे नहीं चल रही है।

(घ): इन परियोजनाओं के निर्धारित समय से पीछे होने के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन संबंधी मामले, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मामले, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था संबंधी समस्या और स्थानीय मुद्दे, संविदात्मक समस्याएं, परियोजना के डिजाइन में परिवर्तन, भूगर्भीय घटनाएं, टुर्गम भूमार्ग एवं कम पहुंच इत्यादि शामिल हैं।

(ङ): सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की उच्च स्तर पर गहन निगरानी, भेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले विद्युत उपकरणों से जुड़े मामलों की आवधिक समीक्षा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सुपर क्रिटिकल बायलर और टरबाइन जनरेटरों के विनिर्माण के लिए कई नए संयुक्त उद्यमों का गठन, वेब आधारित निगरानी प्रणाली की शुरूआत, संयंत्रों की शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता का विस्तार करने के लिए पण्धारियों को सुग्राही बनाना शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्टों की स्थिति					
राज्य	परियोजना का नाम	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वार्षिक कार्यक्रम	चालू किए जाने का अनुमानित कार्यक्रम
केंद्रीय क्षेत्र					
असम	बोगांगांग टीपीपी	यू-1	250	जनवरी-11	जुलाई-14
		यू-2	250	मई-11	मई-15
		यू-3	250	सितंबर-11	अक्टूबर-15
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी- I	यू-1	660	अक्टूबर-13*	जून-15
		यू-2	660	अप्रैल-14*	अप्रैल-16
		यू-3	660	अक्टूबर-14*	फरवरी-17
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-4	660	दिसंबर-12	अक्टूबर-13
		यू-5	660	अक्टूबर-13	सितंबर-14
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपै.	यू-3	195	अक्टूबर-12	मार्च-14
		यू-4	195	जनवरी-13	सितंबर-14
बिहार	नवी नगर टीपीपी	यू-1	250	मई-13	जुलाई-14
		यू-2	250	सितंबर-13	जनवरी-15
		यू-3	250	जनवरी-14	जुलाई-15
		यू-4	250	मई-14	जनवरी-16
बिहार	न्यू नवी नगर टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-17	फरवरी-17
		यू-2	660	जुलाई-17	अगस्त-17
		यू-3	660	जनवरी-18	फरवरी-18
छत्तीसगढ़	लारा टीपीएस	यू-1	800	नवंबर-16	मार्च-17
छत्तीसगढ़	लारा टीपीएस	यू-2	800	मई-17	सितंबर-17
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस 'क' एक्स.	यू-1	500	दिसंबर-11	अक्टूबर-14
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-1	800	दिसंबर-15	जून-16
		यू-2	800	जून-16	दिसंबर-16
		यू-3	800	दिसंबर-16	जून-17
महाराष्ट्र	मोदा एसटीपीपी फेज-II	यू-3	660	मार्च-16	मई-16
		यू-4	660	सितंबर-16	नवंबर-16
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	मई-16	मई-16
		यू-2	660	नवंबर-16	नवंबर-16
म.प्र.	विद्याचल टीपीपी फेज -V	यू-13	500	अगस्त-15	जनवरी-16
म.प्र.	गढ़रवारा	यू-1	800	मार्च-17	अप्रैल-17
म.प्र.	गढ़रवारा	यू-2	800	सितंबर-17	अक्टूबर-17
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपै.	यू-2	250	जून-09	मार्च-14
तमिलनाडु	तूतीकोरीन जेवी	यू-1	500	मार्च-12	फरवरी-14
		यू-2	500	अगस्त-12	अप्रैल-14
तमिलनाडु	वल्लुर टीपीपी फेज-II जेवी	यू-3	500	दिसंबर-12	फरवरी-14
त्रिपुरा	मोनार्खक सीसीपीपी	जीटी	61.3	मार्च-13	जनवरी-14
		एसटी	39.7	जुलाई-13	मई-14
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मॉड्यूल-2	363.3	मार्च-12	अक्टूबर-13
उ.प्र.	रिहंद टीपीपी- III	यू-6	500	दिसंबर-12	नवंबर-13
उ.प्र.	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	जून-16
		यू-2	660	दिसंबर-16	दिसंबर-16
प.बं.	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-1	600	फरवरी-11	मार्च-14
		यू-2	600	मई-11	जुलाई-14
प.बं.	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II	यू-1	660	अगस्त-17	17-18
		यू-2	660	जनवरी-18	17-18
राज्य क्षेत्र					
आंग्रे प्र.	दामोदरम संजीवेच्या टीपीएस	यू-1	800	जुलाई-12	फरवरी-14

		यू-2	800	जनवरी-13	अक्टूबर-14
आंश्र प्र.	काकातिया टीपीपी एक्सटैं	यू-1	600	जुलाई-12	मई-14
आंश्र प्र.	रायलसीमा-III यू-6	यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-15
असम	नामलुप सीरीजीटी	जीटी	70	सितंबर-11	मार्च-14
		एसटी	30	जनवरी-12	जून-14
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-1	500	सितंबर-12	दिसंबर-13
		यू-2	500	जुलाई-12	मार्च-14
दिल्ली	प्रगति सीरीजीटी-III	एसटी-2	250	नवंबर-10	सितंबर-13
गुजरात	पीपावाव सीरीजीपी	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	दिसंबर-13
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटैं	यू-3	250	अक्टूबर-13	अप्रैल-14
		यू-4	250	जनवरी-14	जुलाई-14
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	अक्टूबर-13	सितंबर-14
		यू-2	250	दिसंबर-13	दिसंबर-14
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-8	500	जून-12	फरवरी-14
		यू-9	500	सितंबर-12	जून-14
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपैं	यू-8	660	दिसंबर-13	मार्च-14
		यू-9	660	जून-14	अक्टूबर-14
		यू-10	660	दिसंबर-14	अप्रैल-15
महाराष्ट्र	पाली टीपीएस एक्सपैं	यू-8	250	जनवरी-12	फरवरी-14
म.प्र.	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी)	यू-1	600	जून-12	सितंबर-13
		यू-2	600	अक्टूबर-12	मार्च-14
म.प्र.	सतपुरा टीपीएस एक्सटैं	यू-11	250	अप्रैल-12	अक्टूबर-13
राजस्थान	छाबरा टीपीपी एक्सटैं	यू-3	250	मई-11	सितंबर-13
राजस्थान	छाबरा टीपीपी एक्सटैं	यू-4	250	जुलाई-11	मार्च-14
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	यू-1	600	अगस्त-11	सितंबर-13
		यू-2	600	मार्च-12	फरवरी-14
राजस्थान	रामगढ़ सीरीजीपी एक्सटैं -III	एसटी	50	अक्टूबर-11	दिसंबर-13
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटैं	यू-1	600	अप्रैल-11	सितंबर-13
उ.प्र.	अनपारा डी	यू-6	500	मार्च-11	अप्रैल-14
		यू-7	500	जून-11	जुलाई-14
प. बं.	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटैं	यू-8	250	दिसंबर-13	मार्च-14
प. बं.	सागरदिघी टीपीपी-II	यू-3	500	जुलाई-14	अक्टूबर-14
		यू-4	500	अक्टूबर-14	फरवरी-15

निजी क्षेत्र

आंश्र प्र.	भवनपाडु टीपीपी केंज I	यू-1	660	अक्टूबर-13	अक्टूबर-15
		यू-2	660	मार्च-14	मार्च-16
आंश्र प्र.	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	अप्रैल-16
		यू-2	660	जून-15	अगस्त-16
आंश्र प्र.	पेनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	मई-14	सितंबर-14
		यू-2	660	अगस्त-14	दिसंबर-14
आंश्र प्र.	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा लि फेज-II	यू-3	150	दिसंबर-11	नवंबर-13
		यू-4	150	फरवरी-12	फरवरी-14
आंश्र प्र.	थामिनापटनम टीपीपी-II	यू-3	350	मई-12	मार्च-15
		यू-4	350	अगस्त-12	जून-15
आंश्र प्र.	वैजाग टीपीपी	यू-1	525	जून-13	फरवरी-14
		यू-2	525	सितंबर-13	जून-14
बिहार	जस इंफ्रा. टीपीएस	यू-1	660	अगस्त-14	दिसंबर-16
		यू-2	660	फरवरी-14	16-17
		यू-3	660	अप्रैल-15	17-18
		यू-4	660	अगस्त-15	17-18
छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नेयारा)	यू-2	600	अगस्त-12	दिसंबर-13
		यू-3	600	दिसंबर-12	जून-14
		यू-4	600	अप्रैल-13	अगस्त-14
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडारा टीपीएस	यू-1	600	जुलाई-12	अक्टूबर-13
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी	यू-1	600	मार्च-13	अक्टूबर-13
		यू-2	600	जुलाई-13	मार्च-14
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-11	मार्च-14

		यू-2	300	नवंबर-10	फरवरी-14
छत्तीसगढ़	बंदाखर टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-12	मई-14
छत्तीसगढ़	बिजोकट टीपीपी	यू-1	300	जनवरी-14	नवंबर-14
		यू-2	300	अप्रैल-14	फरवरी-15
		यू-3	300	जुलाई-14	सितंबर-15
		यू-4	300	अक्टूबर-14	जनवरी-16
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	यू-3	660	जनवरी-13	अक्टूबर-14
		यू-4	660	मार्च-13	मार्च-15
छत्तीसगढ़	रायगढ़ा टीपीपी	यू-1	685	सितंबर-13	जन-14
		यू-2	685	जनवरी-14	नवंबर-14
छत्तीसगढ़	सिधीतराय टीपीपी	यू-1	600	जून-14	मार्च-15
		यू-2	600	सितंबर-14	अगस्त-15
छत्तीसगढ़	स्वास्थिक टीपीपी	यू-1	25	जून-12	दिसंबर-13
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	यू-1	600	जनवरी-14	अक्टूबर-13
		यू-2	600	अप्रैल-14	मार्च-14
		यू-3	600	सितंबर-14	फरवरी-15
		यू-4	600	नवंबर-14	अगस्त-15
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-13	अगस्त-14
		यू-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14
छत्तीसगढ़	उंचर्पीडा टीपीपी	यू-1	360	मई-12	जन-14
		यू-2	360	नवंबर-12	नवंबर-14
		यू-3	360	फरवरी-13	जनवरी-15
		यू-4	360	जुलाई-13	मार्च-15
छत्तीसगढ़	चकाबुरा टीपीपी	यू-1	30	सितंबर-13	जनवरी-14
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-1	135	जून-11	सितंबर-13
		यू-2	135	सितंबर-11	दिसंबर-13
छत्तीसगढ़	वीसा टीपीपी	यू-1	600	अगस्त-13	जुलाई-15
झारखण्ड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	मई-12	सितंबर-14
		यू-2	270	जून-12	दिसंबर-14
झारखण्ड	मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	फरवरी-13	जनवरी-15
		यू-4	270	मार्च-13	मार्च-15
झारखण्ड	तोरी टीपीपी	यू-1	600	जून-13	अप्रैल-15
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-2	270	दिसंबर-11	नवंबर- <u>13</u>
		यू-3	270	जनवरी-12	फरवरी- <u>14</u>
		यू-4	270	फरवरी-12	मई-14
		यू-5	270	मार्च-12	अगस्त-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुलाई-14	*
		यू-2	270	सितंबर-14	*
		यू-3	270	नवंबर-14	*
		यू-4	270	जनवरी-15	*
		यू-5	270	मार्च-15	*
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-12	सितंबर-13
		यू-2	300	मई-12	जनवरी-14
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	यू-2	300	फरवरी-12	अगस्त-13
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-14	दिसंबर-15
		यू-2	660	मई-14	अगस्त-16
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-1	270	फरवरी-12	अक्टूबर-13
		यू-2	270	अप्रैल-12	दिसंबर-13
		यू-3	270	जून-12	नवंबर-14
		यू-4	270	अगस्त-12	जनवरी-15
		यू-5	270	अक्टूबर-12	मार्च-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अप्रैल-13	*
		यू-2	270	जून-13	*
		यू-3	270	अगस्त-13	*
		यू-4	270	अक्टूबर-13	*
		यू-5	270	दिसंबर-13	*
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी फेज-II	यू-2	660	जुलाई-12	नवंबर-13
		यू-3	660	अक्टूबर-12	फरवरी-14
म. प्र.	अनुपुर टीपीपी फेज-I	यू-1	600	अप्रैल-13	नवंबर-14

		यू-2	600	अगस्त-13	मार्च-15
म. प्र.	महान टीपीपी	यू-2	600	सितंबर-11	दिसंबर-13
म. प्र.	नीगरी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	मार्च-14
		यू-2	660	दिसंबर-13	सितंबर-14
म. प्र.	ससन यूएमपीपी	यू-1	660	मई-13	*
		यू-2	660	दिसंबर-13	अक्टूबर-13
		यू-4	660	फरवरी-15	दिसंबर-13
		यू-5	660	सितंबर-15	*
		यू-6	660	अप्रैल-16	*
म. प्र.	गोर्गा टीपीपी (डीबी पावर)	यू-1	660	जून-13	जनवरी-17
म. प्र.	सिओनी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	मार्च-13	मार्च-14
ओडिशा	देरांग टीपीपी	यू-1	600	मार्च-12	जनवरी-14
		यू-2	600	जून-12	जून-14
ओडिशा	झंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	सितंबर-11	नवंबर-13
		यू-2	350	दिसंबर-11	मार्च-14
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	यू-2	350	दिसंबर-11	सितंबर-13
ओडिशा		यू-3	350	फरवरी-12	दिसंबर-13
ओडिशा	केवीके निलंचल टीपीपी	यू-1	350	दिसंबर-11	दिसंबर-14
		यू-2	350	जनवरी-12	अगस्त-15
		यू-3	350	मार्च-12	दिसंबर-15
ओडिशा	लैंको बबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	दिसंबर-15
		यू-2	660	अगस्त-13	जून-16
ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी	यू-1	525	दिसंबर-12	सितंबर-14
ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी	यू-2	525	फरवरी-13	दिसंबर-14
पंजाब	गोइदावाल साहिब	यू-1	270	अप्रैल-13	सितंबर-13
		यू-2	270	अक्टूबर-13	फरवरी-14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	यू-1	700	जनवरी-14	जनवरी-14
		यू-2	700	मार्च-14	अप्रैल-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-1	660	अक्टूबर-12	दिसंबर-13
		यू-2	660	जनवरी-13	अप्रैल-14
		यू-3	660	मई-13	जुलाई-14
राजस्थान	कवाई टीपीपी	यू-2	660	मार्च-13	अक्टूबर-13
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	यू-1	600	फरवरी-12	नवंबर-13
		यू-2	600	मार्च-12	मार्च-14
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी (झंड- भारत)	यू-1	660	मई-12	मार्च-16
		यू-2	150		सितंबर-13
उ. प्र.	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-14	जुलाई-14
		यू-2	660	जुलाई-14	दिसंबर-14
		यू-3	660	दिसंबर-14	मार्च-15
उ. प्र.	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	अक्टूबर-14	अक्टूबर-14
		यू-2	660	फरवरी-15	फरवरी-15
		यू-3	660	जून-15	जून-15
प. बं.	हस्तिया टीपीपी-।	यू-1	300	अगस्त-14	अगस्त-14
		यू-2	300	अक्टूबर-14	नवंबर-14

* कार्य नहीं/चालू होने की तिथि अभी निर्धारित करना आकी है

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट
अनुबंध

देश में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम	चालू होने का अनुमानित कार्यक्रम
केंद्रीय क्षेत्र				
1.	उरी-॥ $4 \times 60 = 240$ मे.वा.	जम्मू व कश्मीर	2009-10	2013-14
2.	नीमू बाजगो $3 \times 15 = 45$ मे.वा.	जम्मू व कश्मीर	2010-11	2013-14
3.	किशनगंगा $3 \times 110 = 330$ मे.वा.	जम्मू व कश्मीर	2015-16	2016-17
4.	पार्वती-// $4 \times 200 = 800$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	2016-17
5.	पार्वती-III $4 \times 130 = 520$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2010-11	2013-15
6.	कोल डैम $4 \times 200 = 800$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2008-10	2014-15
7.	रामपुर $6 \times 68.67 = 412$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2011-12	2013-15
8.	तपोवन विष्णुगाड़ $4 \times 130 = 520$ मे.वा.	उत्तराखण्ड	2011-12	2015-16
9.	टेहरी पीएसएस, $4 \times 250 = 1000$ मे.वा.	उत्तराखण्ड	2011-12	2017-18
10.	लता तपोवन, $3 \times 57 = 171$ मे.वा.	उत्तराखण्ड	2017-18	2017-18
11.	तीरता लो डैम-IV $4 \times 40 = 160$ मे.वा.	पश्चिम बंगाल	2009-10	2014-15
12.	सुवानसिरी लोआर $8 \times 250 = 2000$ मे.वा.	अरुणाचल प्रदेश	2010-11	2016-18
13.	कार्मेंग $4 \times 150 = 600$ मे.वा.	अरुणाचल प्रदेश	2009-10	2016-17
14.	पारे $2 \times 55 = 110$ मे.वा.	अरुणाचल प्रदेश	2013-14	2014-15
15.	तुरियल $2 \times 30 = 60$ मे.वा.	मिजोरम	2006-07	2016-17
राज्य क्षेत्र				
16.	बगलीहार- $3 \times 150 = 450$ मे.वा.	जम्मू व कश्मीर	2014-15	2016-17
17.	उहल- $3 \times 33.3 = 100$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2006-07	2014-15
18.	कशांग-। 65 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2012-13	2014-15
19.	कशांग-॥ व ॥ $1 \times 65 + 1 \times 65 = 130$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2013-14	2015-16
20.	सैंज 100 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2014-15	2014-15
21.	ख्वारा कुड्डु $3 \times 37 = 111$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2010-11	2014-15
22.	शोंगटोंग करवम $3 \times 150 = 450$ मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2017-18	2017-18
23.	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस $2 \times 40 = 80$ मे.वा.	महाराष्ट्र	2017-18	2017-18

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	चालू होने का वार्षिक कार्यक्रम	चालू होने का अनुभानित कार्यक्रम
24.	नागार्जुन सागर टीआर 2x25=50 मे.वा.	आंध्र प्रदेश	2008-09	2014-15
25.	लोअर जुराला 6x40=240 मे.वा.	आंध्र प्रदेश	2011-13	2013-16
26.	पुलीचिताला 120 मे.वा. (4x30 मे.वा.)	आंध्र प्रदेश	2009-11	2015-17
27.	पल्लीवसल 2x30= 60 मे.वा.	केरल	2010-11	2014-15
28.	थॉटियार 1x30 + 1x10= 40 मे.वा.	केरल	2013-14	2015-16
29.	भवानी कट्टालई बैराज-II 2x15 = 30 मे.वा.	तमिलनाडु	2006-07	2013-14
30.	भवानी कट्टालई बैराज-III 2x15 = 30	तमिलनाडु	2006-07	2013-14
31.	न्यू उमतरु 2x20=40	मेघालय	2011-12	2014-15
	निजी क्षेत्र			
32.	सोरांग 2x50= 100 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2012-13	2013-14
33.	टीडोंग-I 2x50 = 100 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2013-14	2015-16
34.	टांगू रोमर्झ-1 2x22= 44 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2014-15	2015-16
35.	बजोली होली 3x60=180 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	2017-18	2017-18
36.	श्रीनगर 4x82.5=330	उत्तराखण्ड	2005-06	2014-15
37.	फाटा ब्योंग 2x38 MW = 76 मे.वा.	उत्तराखण्ड	2013-14	2014-15
38.	सिंगोली भटवारी 3x33 MW = 99 मे.वा.	उत्तराखण्ड	2015-16	2015-16
39.	महेश्वर 10x40= 400 मे.वा.	मध्य प्रदेश	2001-02	2014-15
40.	तीस्ता-III 6x200=1200 मे.वा.	सिविकम	2011-13	2014-15
41.	तीस्ता-VI 4x125= 500 मे.वा.	सिविकम	2012-13	2015-16
42.	रंगित-IV 3x40= 120 मे.वा.	सिविकम	2012-13	2014-15
43.	जोखांग लूप 2x48 = 96 मे.वा.	सिविकम	2013-14	2014-15
44.	भरमे 3x17= 51 मे.वा.	सिविकम	2014-15	2015-16
45.	तरसीडिंग 2x48.5 = 97 मे.वा.	सिविकम	2013-14	2017-18
46.	डिक्कु 3x32= 96 मे.वा.	सिविकम	2015-16	2017-18
47.	रंगित-II 2x33= 66 मे.वा.	सिविकम	2016-17	2017-18
48.	रोंगनीचु 2x48= 96 मे.वा.	सिविकम	2015-16	2017-18

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

निर्धारित समय से पांच वर्ष से अधिक समय से पीछे चल रही जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम क्षमता	चालू होने का निर्धारित कार्यक्रम		विलंब का समय
		वार्षिक माह/वर्ष	नवीनतम माह/वर्ष	
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
1	कोल डैम (4x200 मे.वा.)	अप्रैल-09 2008-10	2014-15	71 माह
2	तुरियल (2x30 मे.वा.)	जुलाई-06 2006-07	2016-17	128 माह
3	कामेंग (4x150 मे.वा.)	दिसंबर-09 2009-10	2016-17	87 माह
4	टेहरी पीएसएस (4x250 मे.वा.)	जुलाई- 10 2010-11 (तिथि के अनुसार अनुमोदित) फरवरी-16 (2015-16) (आररीई के अनुसार)	2017-18	92 माह
5	तीरता लो डैम-IV (4x40 मे.वा.)	सितंबर-09 2009-10	2014-15	66 माह
6	पाखटी - II (4x200 मे.वा.)	सितंबर-09 2009-10	2016-17	90 माह
7	सुवानसिरी लोअर (8x250 मे.वा.)	सितंबर-10 2010-11	2016-18	90 माह
राज्य क्षेत्र				
हिमाचल प्रदेश				
8	उहल-III (3x33.33 मे.वा.)	मार्च-07 2006-07	2014-15	96 माह
आंध्र प्रदेश				
9	पुलीचिताला (4x30 मे.वा.)	2009-11	2015-17	60 माह
10	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2x25 मे.वा.)	नवंबर-08 2008-09	2014-15	72 माह
तमिलनाडु				
11	भवानी कट्टलई एच.ई. बैराज II (2x15 मे.वा.)	मार्च-06 2005-06	2013-14	98 माह
12	भवानी कट्टलई एच.ई. बैराज III (2x15 मे.वा.)	मार्च-06 2005-06	2012-14	96 माह
निजी क्षेत्र				
उत्तराखण्ड				
13	श्रीनगर (4x82.5 मे.वा.)	2005-06	2014-15	108 माह
मध्य प्रदेश				
14	महेश्वर (10x40 मे.वा.)	2001-02	2014-15	156 माह

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3157

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कोयले की आपूर्ति

3157. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के अधिकांश विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा एक सप्ताह से कम समय के लिए बची है और कोयले की आपूर्ति में बाधा होने के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयले की न्यूनतम मात्रा प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादक कंपनियों और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बीच कोई समझौता हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक उक्त समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : 21 अगस्त, 2013 के अनुसार, थर्मल पावर स्टेशनों का अखिल भारतीय कोयला स्टॉक 23.29 मिलियन टन (एमटी) था जोकि पिछले वर्ष इसी दिवस में 9 दिनों के लिए लगभग 9.12 एमटी की तुलना में 19 दिनों के लिए था। उन थर्मल पावर स्टेशनों की संख्या जिनका कोयला भण्डार सात दिनों से कम था, घटकर 32 से 8 दिन हो गया है।

(ग) से (ङ) : वर्तमान में, लगभग 40,000 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर परियोजनाओं की 97 यूनिटों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3162

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

†3162. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में विद्युत उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा संबंधी कोई आंकड़े हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऊर्जा उत्पादकों द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता का कम उपयोग एक चिंता का विषय है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): 31.07.2013 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्रों की निगरानी की गई क्षमता 68,496.93 मेगावाट थी। वर्ष 2013-14(31 जुलाई, 2013 तक) के दौरान इन संयंत्रों का वास्तविक सकल विद्युत उत्पादन लगभग 1,19,776 मिलियन यूनिट था।

(ग) और (घ): विद्युत उत्पादकों की उत्पादन यूनिटों की संस्थापित क्षमता का उपयोग विद्युत केन्द्र के प्रकार से जुड़ा होता है। जबकि तापीय यूनिटें निरंतर बेस लोड यूनिटों के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जल विद्युत यूनिटें जल की उपलब्धता जलाशय स्तर पर निर्भर करते हुए बेस अथवा व्यस्ततम लोड दोनों पर प्रयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार, संस्थापित क्षमता का उपयोग प्रभावी रूप से तापीय (नाभिकीय सहित) उत्पादन यूनिटों पर लागू होता है और संयंत्र भार गुणांक (पीएलएफ) के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तापीय और नाभिकीय यूनिटों का पीएलएफ मुख्यतः यूनिटों की जीवनकाल, मरम्मत हेतु बंदी(जबरन) और नियोजित रखरखाव, ईंधन की मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता और लाभार्थियों से कार्यक्रम की प्राप्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्धता से जल विद्युत केंद्रों का निष्पादन प्रभावित होता है। इसलिए, तापीय केंद्रों के लिए पीएलएफ जैसे जल विद्युत केन्द्रों की उपलब्धता को उस केन्द्र के निष्पादन के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। उनकी उत्पादन क्षमता उनके निष्पादन से कम होने के

कारणों में कोयला और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता, डिजाइन किए गए कोयले के साथ भिन्न-भिन्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति, जबरनबंदी की लम्बी अवधि, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने, जीवन विस्तार और आपरेटिंग कार्यों, गाद की समस्या इत्यादि के कारण संयंत्र का बंद होना शामिल है।

सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक उपाय निम्न हैं:

- (i) कोयले की गुणवत्ता के लिए तीसरे पक्ष की सैम्पलिंग सहित कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कार्रवाई करना।
- (ii) विद्युत के निर्धारित प्रापण के लिए राज्यों के साथ प्रयास करना।
- (iii) जबरन बंदी को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों के साथ प्रयास करना।
- (iv) पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार को तीव्र करना।
- (v) ताप विद्युत स्टेशनों को घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्तियों की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।
- (vi) बाधित क्षेत्रों की पहचान करने और अन्तर्मंत्रालयी और दूसरे बकाया मामलों के तीव्र समाधान को सुकर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं। राज्य क्षेत्र उत्पादन यूनिटों के लिए संबंधित राज्य यूटिलिटियों के विभिन्न स्तरों पर भी समीक्षा की जाती है।
- (vii) भारी वर्षा के कारण विद्युत केन्द्रों की गाद हटाना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3165

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

3165. श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हुईं तथा उनमें से जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी हैं; और
- (ख) इन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है और ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : वर्तमान में बिहार राज्य में कोई भी जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के पश्चात् नए थर्मल प्रोजेक्टों की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बिहार में वर्तमान में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्टों की उनकी क्षमता सहित, चालू किए जाने की संभावित तिथि और कोयला आपूर्ति के प्रावधान सहित व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3165 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट में)	चालू होने की संभावित तिथि	कोयला आपूर्ति के प्रावधान
केंद्रीय क्षेत्र				
बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	06/15	कोल लिंकेज
	यू-2	660	04/16	
	यू-3	660	02/17	
बाढ़ एसटीपीपी -II	यू-4	660	10/13	कोल ब्लॉक
	यू-5	660	09/14	
कान्ती टीपीएस रस्टे-II.	यू-1	195	03/14	कोल लिंकेज
	यू-2	195	09/14	
नवी नगर टीपीपी	यू-1	250	07/14	कोल लिंकेज
	यू-2	250	01/15	
	यू-3	250	07/15	
	यू-4	250	01/16	
न्यू नवी नगर एसटीपीपी	यू-1	660	02/17	कोल लिंकेज
	यू-2	660	08/17	
	यू-3	660	02/18	
राज्य क्षेत्र				
बरोनी टीपीएस एक्स्टें	यू-1	250	03/15	कोल ब्लॉक, कोयला मंत्रालय ने टेपरिंग लिंकेज को 'सैद्धान्तिक रूप में' अनुमोदित कर दिया है।
	यू-2	250	06/15	
निजी क्षेत्र				
जस टीपीपी, गांव-सिरिया जिला-बांका	यू-1	660	16-17	कोल ब्लॉक
	यू-2	660	16-17	
	यू-3	660	17-18	
	यू-4	660	17-18	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3166
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन

3166. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत बिहार में कितने परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने और कितने ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव था;
- (ख) राज्य में क्षेत्र-वार अभी तक कितने परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराये जाने हैं;
- (ग) राज्य में सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने की स्कीम का व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में “ऊर्जा ग्रामों” का भी चयन किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, बिहार में आरजीजीवीवाई चरण-II के अंतर्गत 43 परियोजनाएं (10वीं योजना में 26 परियोजनाएं और 11वीं योजना में 17 परियोजनाएं) और 11 पूरक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 55,52,867 घरों को निःशुल्क कनेक्शन जारी किया जाना शामिल है। बिहार में 92,876 ट्रांसफार्मरों को संरथापित किए जाने का प्रस्ताव था।

(ख) : संचयी रूप से, 31.07.2013 के अनुसार, बिहार में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 24,20,077 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए हैं। बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों के परियोजना-वार व्यौरे अनुबंध पर हैं।

(ग) : 12वीं योजना आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार विचारार्थ 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों/वासस्थलों को विद्युतीकरण के लिए लिया जाना है।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल घरों की परियोजना-वार कवरेज और उपलब्धि

क्रम सं.	जिला	कवरेज	उपलब्धि	शेष
Xवीं योजना				
1	दरभंगा	44942	44942	0
2	पूर्ण चम्पारण	68685	68685	0
3	मधुबनी	39070	39070	0
4	शिवहर	11400	11400	0
5	सीतामढी	41694	41694	0
6	अररिया	35433	28944	6489
7	ओरंगाबाद	43050	42630	420
8	बांका	43014	43014	0
9	भागलपुर	30459	30459	0
10	भोजपुर	25791	25791	0
11	बक्सर	18293	18293	0
12	गया (दक्षिण)	47441	47441	0
13	गया (उत्तर)	31763	27312	4451
14	गोपालगंज	28409	28409	0
15	जमुई	30203	30203	0
16	कैमूर	14194	14194	0
17	किशनगंज	20800	20800	0
18	लखीसराय	7021	7021	0
19	मुगेर	7802	7802	0
20	नालंदा	25597	25597	0
21	नवादा	27004	27004	0
22	पटना	25134	25134	0
23	पुर्णिया	25009	25009	0
24	रोहतास	36442	36442	0
25	सारन	38872	38872	0
26	सिवान	33390	33390	0
कुटीर ज्योति/बीपीएल स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को उपलब्धि कराए गए कनेक्शन		13273	13273	0
कुल (Xवीं योजना)		814185	802825	11360

XIवीं योजना

1	बेगुसराय	90912	65880	25032
2	कटिहार	142350	45461	96889
3	खगड़िया	36671	25374	11297
4	मधेपुरा	75084	71804	3280
5	सहरसा	72996	69442	3554
6	समस्तीपुर	73332	63879	9453
7	शेखपुरा	30538	23557	6981
8	सुपौल	80681	79146	1535
9	दरभंगा	135621	132653	2968
10	पूर्ण चम्पारण	191639	141238	50401
11	मधुबनी	141985	141985	0
12	शिवहर	27116	25230	1886
13	सीतामढी	152735	151522	1213
14	पश्चिम चम्पारण	177751	177751	0
15	जहानाबाद और अखवल (2 जिले)	23953	23953	0
16	मुजफ्फरपुर	257553	257553	0
17	वैशाली	117608	108995	8613
कुटीर ज्योति/बीपीएल स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को उपलब्धि कराए गए कनेक्शन		11829	11829	0
कुल (XIवीं योजना)		1840354	1617252	223102

XIIवीं योजना (फेज-II)

1	अररिया	267352	फरवरी/मई, 2012 के दौरान फेज-II की परियोजनाएं खींचृत की गई थीं। सभी परियोजनाएं अवार्ड के विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए इन परियोजनाओं से कोई प्रगति सूचित नहीं की गई है।	267352
2	बांका	160300		160300
3	भोजपुर	236433		236433
4	गया	275296		275296
5	नवादा	161658		161658

6	पूर्णिया	365941		365941
7	रोहतास	247396		247396
8	सिवान	279374		279374
9	किशनगंज	221900		221900
10	नालंदा	304109		304109
11	पटना	378569		378569
	कुल (X1वीं योजना (फेज-II))	2898328	0	2898328
	कुल जोड़	5552867	2420077	3132790

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3177

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3177. श्री फांसिस्को कोज्ञी सारदीना:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की क्षमता और स्थान-वार व्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं को शुरू करने की संभावित तारीख सहित इनकी अनुमानित लागत तथा इन्हें आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार व्यौरा क्या है;
- (ग) इस वर्ष के अंत तक देश में विद्युत की अनुमानित मांग क्या होगी; और
- (घ) इन नई विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत से यह मांग किस सीमा तक पूरी होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने के लिए उनकी क्षमता, स्थान, उनकी अनुमानित लागत, व्यय, चालू किए जाने का कार्यक्रम सहित लक्षित जल-विद्युत परियोजनाओं का व्यौरा परियोजना-वार अनुबंध-I पर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की गई और निर्माणाधीन लक्षित ताप-विद्युत परियोजनाओं की उनकी क्षमता, स्थान इनकी अनुमानित लागत व्यय, शुरू होने का समय सहित व्यौरे परियोजना-वार क्रमशः अनुबंध-II क और अनुबंध-II ख पर दिए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संभावित लाभों के लिए निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं की उनकी क्षमता, स्थान, शुरू होने का समय सहित व्यौरे परियोजना-वार अनुबंध-III पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ): वर्ष 2013-14 के लिए लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट(एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान देश में व्यवस्तातम मांग 1,44,225 मेगावाट होने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ प्रदान करने वाली विद्युत परियोजनाओं से व्यवस्तातम उपलब्धता 1,40,964 मेगावाट होने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवस्तातम विद्युत की कमी 2.3% (3,261 मेगावाट) होने की संभावना है।

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

12वीं योजना के दौरान लाभ पहुँचाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं-राज्यवार

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र सं	योजना का नाम	क्षेत्र	क्षमता	चालू (मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन	चालू होने का वर्ष	अनुमानित लागत	खर्च	वर्ष तक
			(सं. x मेगावाट)			(मेगावाट)			संभावित
जम्मू व कश्मीर									
1	चुटक	केंद्रीय	4x11	44.00	0.00	2012-13	913.25	775.32	(01/13)
2	उरी-॥	केंद्रीय	4x60		240.00	2013-14	1794.00	1928.07	(03/13)
3	नीमू बाजगो	केंद्रीय	3x15		45.00	2013-14	936.10	840.91	(03/13)
4	किशनगंगा	केंद्रीय	3x110		330.00	2016-17	3642.04	2184.17	(03/13)
5	बगलीहार II	राज्य	3x150		450.00	2016-17	2113.09	191.72	(03/12)
हिमाचल प्रदेश									
6	चमेरा-III	केंद्रीय	3x77	231.00	0.00	2012-13	2084.01	1842.24	(06/12)
7	पार्वती चरण ॥	केंद्रीय	4x200		800.00	2016-17	5524.00	3854.20	(03/13)
8	पार्वती -III	केंद्रीय	4x130		520.00	2013-15	2716.00	2077.96	(03/13)
9	कोल डैम	केंद्रीय	4x200		800.00	2014-15	6358.91	4842.00	(02/13)
10	रामपुर	केंद्रीय	6x68.67		412.00	2013-15	2047.03	2235.78	(03/13)
11	उहल-III	राज्य	3x33.33		100.00	2014-15	940.84	888.08	(03/13)
12	स्वारा कुड्डु	राज्य	3x37		111.00	2014-15	1181.90	813.55	(03/13)
13	कशांग-।	राज्य	1x65		65.00	2014-15	478.02		608.74 (03/13)
14	कशांग-॥ , III	राज्य	2x65		130.00	2015-16	601.78		(03/13)
15	सैंज	राज्य	2x50		100.00	2014-15	725.24	448.94	(03/13)
16	बुधील	निजी	2x35	70.00	0.00	2012-13	418.80	364.00	(03/13)
17	सोरांग	निजी	2x50		100.00	2013-14	586.00	213.05	(03/10)
18	टीडोंग-।	निजी	2x50		100.00	2015-16	543.15	250.89	(03/13)
19	टांगू रोमई	निजी	2x22		44.00	2015-16	255.00	179.00	(03/13)
उत्तराखण्ड									
20	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	4x130		520.00	2015-16	2978.48	1730.00	(02/13)
21	श्रीनगर	निजी	4x82.5		330.00	2014-15	2069.00	3328.01	(03/12)
22	फाटा ब्योंग	निजी	2x38		76.00	2014-15	520.00	486.96	(03/13)
23	सिंगोली भटवारी	निजी	3x33		99.00	2015-16	666.47	485.78	(03/13)
मध्य प्रदेश									
24	महेश्वर	निजी	10x40		400.00	2014-15	3938.66	2917.70	(03/12)

आंध्र प्रदेश								
25	नागार्जुन सागर टीआर	राज्य	2x25	50.00	2014-15	794.47	534.62	(03/13)
26	पुलीचिंताला	राज्य	4x30	120.00	2015-17	396.00	217.91	(03/13)
27	लोअर जुराला केरल	राज्य	6x40	240.00	2013-16	908.34	1112.03	(03/13)
28	पल्लीवसल	राज्य	2x30	60.00	2014-15	268.02	161.76	(03/13)
29	थोट्टीयार तमिलनाडु	राज्य	1x30+1x10	40.00	2015-16	145.77	16.24	(03/13)
30	भवानी बैराज-	राज्य	2x15	30.00	2013-14	497.46	477.06	(03/12)
31	भवानी बैराज- प. बंगाल	राज्य	2x15	15.00	15.00	2012-14	490.80	379.87 (03/12)
32	तीस्ता लो डैम-	केंद्रीय	4x33	132.00	0.00	2012-14	1628.00	1686.98 (03/13)
33	तीस्ता लो डैम-IV सिक्किम	केंद्रीय	4x40	160.00	2014-15	1502.00	1314.17	(03/13)
34	चुजाचेन	निजी	2x49.5	99.00	0.00	2013-14	1044.50	966.20 (03/12)
35	तीस्ता-	निजी	6x200	1200.00	2014-15	5705.55	5475.43	(03/13)
36	तीस्ता VI	निजी	4x125	500.00	2015-16	3283.08	2086.25	(03/13)
37	रंगित IV	निजी	3x40	120.00	2016-17	726.16	554.21	(03/13)
38	जोरथांग लूप	निजी	2x48	96.00	2014-15	403.00		
39	भस्मे	निजी	2X25.5	51.00	2015-16	408.50	160.90	(03/12)
	मेघालय							
40	मिट्टू इकाई-3	राज्य	2x42 + 1x42	42.00	0.00	2012-13	1173.13	968.00 (03/13)
41	नई उमतरु मिजोरम	राज्य	2x20	40.00	2014-15	226.40	112.87	(06/11)
42	तुरियल	केंद्रीय	2x30	60.00	2016-17	913.63	394.96	(03/13)
	अरुणाचल प्रदेश							
43	सुबंसिरी लोअर	केंद्रीय	8x250	1000.00	2016-17	10667.00	6203.46	(03/13)
44	कामेंग	केंद्रीय	4x150	600.00	2016-17	3253.22	2208.60	(03/13)
45	पारे	केंद्रीय	2x55	110.00	2014-15	573.99	505.69	(03/13)

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का व्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक लागत (करोड़ रुपये में)	नवीनतम लागत (करोड़ रुपये में)	चालू होने की वास्तविक तिथि	कुल खर्च (करोड़ रुपये में)	तक अनुमानित
केंद्रीय क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	सिपत-।	यू-३	660	8323.39	8323.39	02.06.12	8050.98	मार्च-12 (तीन इकाई)
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	यू-३	500	8293.00	8587.97	07.11.12	6120.13	सितंबर-12 (तीन इकाई)
झारखण्ड	कोडरमा टीपीपी	यू-२	500	4313.00	5583.08	15.02.13	5634.09	दिसंबर-12 (दो इकाई)
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	यू-१	500	5459.28	6010.89	19.04.12	4557.00	नवंबर-12
		यू-२	500			29.03.13		
मध्य प्रदेश	विध्याचल टीपीपी-IV	यू-११	500	5915.00	5915.00	14.06.12	4147.00	दिसंबर-12
		यू-१२	500			22.03.13		
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज ।	यू-२	500	5423.55	5552.78	28.02.13	5995.86	दिसंबर-12 (दो इकाई)
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मॉड्यूल-१	363.3	3429.00	3429.00	03.01.13	2977.00	मार्च-13 (दो मॉड्यूल)
उत्तर प्रदेश	रिहंद एसटीपीपी- III	यू-५	500	6230.81	6230.81	25.05.12	4354.00	मई-13

राज्य क्षेत्र								(दो इकाई)
छत्तीसगढ़	कोरबा वेस्ट चरण-III.	यू-5	500	2309.34	3156.00	22.03.13	2690.99	जनवरी13
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी - III	जीटी-3	250	5195.81	5195.81	27.06.12	2996.10	जून 13 (4 जीटी+2 एसटी)
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	ब्लॉक-2	351	2354.29	3029.00	27.03.13	2383.32	जुलाई-13 (दो मॉड्यूल)
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्सटें	यू-6	500	1950.00	2135.00	05.03.13	2455.43	जुलाई--12
म. प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें	यू-10	250	2350.00	3032.34	22.03.13	2574.17	जून -13 (दो इकाई)
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-III	जीटी	110	640.00	640.00	20.03.13	551.95	जून -13 (जीटी+एसटी)
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें	यू-1	600	3550.04	3550.04	11.10.12	2441.00	जुलाई--12
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें, यू-2	यू-2	600	2718.75	2718.75	09.03.13	1820.24	जनवरी-13
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सटें	यू-9	250	1900.00	2605.00	25.05.12	2524.81	मार्च-12 (दो इकाई)
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें	यू-5	250	1703.00	1703.00	24.05.12	1144.05	(दो इकाई)
निजी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	सिन्हापुरी इनर्जी प्रा. लि. फेज-I	यू-2	150	1485.00	1485.00	02.07.12	1405.38	मई-12 (दो इकाई)

आंध्र प्रदेश	थम्मीनापटनम टीपीपी-I	यू-1	150	1420.00	1428.00	09.09.12	1452.62	जून-13 (दो इकाई)
		यू-2	150			17.04.13		
छत्तीसगढ़	अलकातारा (नैयारा)टीपीपी	यू-3	600	16190.00	16190.00	13.08.13	11036.14	अप्रैल-13 (छ: इकाई)
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	यू-2	135	1267.00	1267.00	21.06.12	1245.00	जून-12 (दो इकाई)
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	यू-1	50	220.00	220.00	04.02.13	344.00	फरवरी-13
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	यू-2	800	एन ए	एन ए	25.07.12	13124.00	मार्च-11 (पांच इकाई)
गुजरात	सलाया टीपीपी	यू-2	600	4820.00	5000.00	13.06.12	5050.45	जून-12 (दो इकाई)
हरियाणा	झज्जर टीपीपी(महात्मा गांधी टीपीपी)	यू-2	660	6000.00	6000.00	11.04.12	5215.87	मार्च-12 (दो इकाई)
झारखण्ड	महादेव प्रासास एसटीपीपी फेज-I	यू-1	270	3151.00	3151.00	19.11.12	2900.00	दिसंबर-12 (दो इकाई)
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-1	270	6888.00	6888.00	25.03.13	5838.81	जून-13 (पांच इकाई)
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	यू-1	270	1477.00	1477.00	20.03.13	1648.29	जनवरी 13
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II	यू-1	300	1600.00	1600.00	17.08.12	1127.00	दिसंबर-12
महाराष्ट्र	एमको वरोरा टीपीपी	यू-1	300	3480.00	4000.00	07.02.13	3808.00	जून-13

								(दो इकाई)
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	यू-1	60	656.49	656.49	08.09.12	587.16	मई-11
		यू-2	60			28.04.12		(दो इकाई)
महाराष्ट्र	तीरौरा टीपीपी फेज-I	यू-1	660	6560.00	7309.00	11.09.12	6989.00	दिसंबर-12
		यू-2	660			25.03.13		(दो इकाई)
महाराष्ट्र	तीरौरा टीपीपी फेज-II	यू-1	660	8993.00	9635.00	10.06.13	7367.64	जून-13
								(तीन इकाई)
म.प्र.	बीना टीपीपी	यू-1	250	2750.00	3240.00	12.08.12	2952.00	जून-12
		यू-2	250			31.03.13		(दो इकाई)
म.प्र	सासन यूएमपीपी	यू-3	660	एन ए	एन ए	30.05.13	3471.00	मार्च-11
								(छः इकाई)
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	यू-1	350	4540.00	6307.00	28.03.13	6189.79	जून-13
								(तीन इकाई)
ओडिशा	स्टर्लिंग टीपीपी	यू-4	600	7669.00	7669.00	25.04.12	4997.79	अगस्त-09
								(चार इकाई)
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	यू-5	135	5075.00	6865.21	05.02.13	6394.38	मार्च-12
		यू-6	135			03.03.13		(आठ इकाई)

अनुबंध-॥ ख

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

12वीं योजना में लाभ पहुँचाने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	इकाई सं.	क्षमता (मेगवाट)	वास्तविक अनुमानित लागत (करोड़)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़)	चालू होने की अनुमानित कार्यक्रम	कुल किया गया खर्च (करोड़)	तक संभावित
आंध्र प्र.									
	रायलसीमा स्टें-IV टीपीएस	एस	यू-6	600	3028.86	3525.00	दिसंबर-15	1041.96	जून-13
	श्री दामोदरम संजीवैया (कृष्णापट्टनम) टीपीपी	एस	यू-1	800	8432.00	8654.00	फरवरी-14	7966.65	जून-13
		एस	यू-2	800			अक्टूबर -14		
	थामिनापट्टनम टीपीपी फेज-II	पी	यू-3	350	3120.00	3700.00	मार्च-15	1246.14	जून-13
		पी	यू-4	350			जून-15		
	भवनपाडु टीपीपी फेज-I	पी	यू-1	660	6572.00	6572.00	अक्टूबर -15	1607.00	मार्च-13
		पी	यू-2	660			मार्च-16		
	वैजाग टीपीपी	पी	यू-1	525	5545.00	5545.00	फरवरी-14	4104.25	जून-13
		पी	यू-2	525			जून-14		
	प्यानमपुरम टीपीपी	पी	यू-1	660	6869.00	6869.00	सितंबर -14	5876.00	जून-13
		पी	यू-2	660			दिसंबर-14		
	नागार्जुन टीपीपी	पी	यू-1	660			अप्रैल-16	1959.98	जून-13
		पी	यू-2	660			अगस्त-16		
असम									
	बोगाईगांव टीपीपी	सी	यू-1	250	4375.35	4375.35	जुलाई-14	3886.00	मई -13
		सी	यू-2	250			मई -15		
		सी	यू-3	250			अक्टूबर -15		
	नामरूप सीसीजीटी	एस	जीटी	70	693.73	693.73	मार्च-14	297.40	जून-13
		एस	एसटी	30			जून-14		
बिहार									
	बाढ़ एसटीपीपी- I	सी	यू-1	660	8693.00	8692.97	जून-15	7050.74	मई -13
		सी	यू-2	660			अप्रैल-16		
		सी	यू-3	660			फरवरी-17		
	बाढ़ एसटीपीपी- II	सी	यू-1	660	7341.04	7341.04	अक्टूबर -13	5997.04	मई -13
		सी	यू-2	660			सितंबर -14		
	नवि नगर टीपीपी(एनटीपीसी एवं रेलवे का जेवी)	सी	यू-1	250	5352.51	5352.51	जुलाई-14	2621.00	जून-13
		सी	यू-2	250			जनवरी-15		
		सी	यू-3	250			जुलाई-15		
		सी	यू-4	250			जनवरी-16		
	मुजफ्फरपुर एक्सप्यू (बीएसईबी का जेवी)	सी	यू-3	195	3154.33	3154.33	मार्च-14	1010.35	मार्च-13
		सी	यू-4	195			सितंबर -14		
छत्तीसगढ़									
	मारवा टीपीपी	एस	यू-1	500	4735.00	6318.00	दिसंबर-13	4852.80	जून-13
		एस	यू-2	500			मार्च-14		
	अवंथा भंडार	पी	यू-1	600	2872.00	2872.00	अक्टूबर -13	3168.00	जून-13

	बालको टीपीएस	पी	यू-1	300	4650.00	4650.00	मार्च-14	3494.30	मई -13
		पी	यू-2	300			फरवरी-14		
	लैंको अमरकंटक	पी	यू-3	660	6886.00	7700.00	अक्टूबर -14	5810.05	मार्च-13
		पी	यू-4	660			मार्च-15		
	अकालतासा टीपीपी फेज-।	पी	यू-1	600	16190.0 0	16190.0 0	दिसंबर-13	11036.14	अप्रैल-13
		पी	यू-2	600			जून-14		(छ: इकाई)
	रायगढ़(तमनार) टीपीपी	पी	यू-1	600	12800.00	12800.00	अक्टूबर -13	5200.00	मार्च-13
		पी	यू-2	600			मार्च-14		(चार इकाई)
	सिंधीतराई टीपीपी	पी	यू-1	600			मार्च-15	2706.15	जून-13 (दो इकाई)
	बारादहा टीपीपी (डीबी पावर)	पी	यू-1	600	6533.00	6533.00	अक्टूबर -13	4747.00	दिसंबर-12
		पी	यू-2	600			मार्च-14		
	बिंजकोट टीपीपी (एसकेएस)	पी	यू-1	300	5058.00	6848.10	नवंबर -14	2321.02	जून-13
		पी	यू-2	300			फरवरी-15		(चार इकाई)
		पी	यू-3	300			सितंबर -15		
	उचिंडा टीपीपी(आरकेएम) (फेज-। एवं II)	पी	यू-1	360	6653.61	6653.61	जून-14	6146.29	जून-13
		पी	यू-2	360			नवंबर -14		(चार इकाई)
		पी	यू-3	360			जनवरी-15		
	वंदना टीपीपी	पी	यू-1	135	1458.44	1458.44	सितंबर -13	1492.00	जुलाई-12
		पी	यू-2	135			दिसंबर-13		
	बंडाखर टीपीपी	पी	यू-1	300	1456.00	1456.00	मई -14	902.87	अप्रैल-13
	टीआरएन टीपीपी	पी	यू-1	300	2844.00	2844.00	अगस्त-14	621.00	मार्च-13
		पी	यू-2	300			दिसंबर-14		
	स्वास्तिक टीपीपी	पी	यू-1	25	136.00	142.00	दिसंबर-13	160.21	अप्रैल-13
दिल्ली									
	प्रगति सीसीजीटी - III	एस	ब्लॉक-- II एसटी- 2	250	5195.81	5195.81	सितंबर -13	2996.01	जून-13 (प्रत्येक 750 मेगावाट के दो ब्लॉक)
गुजरात									
	सिक्का टीपीएस एक्सटें.	एस	यू-3	250	2004.00	2356.00	अप्रैल-14	2235.59	मई -13
	पिपावाव सीसीपीपी	एस	ब्लॉक- I	351	2354.29	3029.00	दिसंबर-13	2383.32	जुलाई-13 (दो इकाई)
झारखण्ड									
	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपै.	सी	यू-1	500	2313.00	3552.18	अक्टूबर -14	1795.75	मार्च-13
	माताश्री उषा टीपीपी (कॉर्पोरेट), फेज I	पी	यू-1	270	2900.00	3200.00	सितंबर -14	3120.00	नवंबर -12
		पी	यू-2	270			दिसंबर-14		
महाराष्ट्र									
	चंद्रपुर टीपीपी	एस	यू-8	500	5500.00	5500.00	फरवरी-14	3251.96	मई -13 (दो इकाई)
	पार्ली टीपीएस	एस	यू-8	250	1375.00	1696.24	फरवरी-14	1327.81	अप्रैल-13
	कोराडी टीपीएस एक्सटें.	एस	यू-8	660	11880.0 0	11880.0 0	मार्च-14	7164.72	मई -13 (तीन इकाई)
	अमरावती टीपीपी स्टें।	पी	यू-2	270	6888.00	6888.00	नवंबर -13	5838.81	जून-13
		पी	यू-3	270			फरवरी-14		(पांच इकाई)
		पी	यू-4	270			मई -14		

		पी	यू-5	270			अगस्त-14		
	नासिक टीपीपी फेज ।	पी	यू-1	270	6789.00	6789.00	अक्टूबर -13	4554.55	जून-13
		पी	यू-2	270			दिसंबर-13		
		पी	यू-3	270			नवंबर -14		
		पी	यू-4	270			जनवरी-15		
		पी	यू-5	270			मार्च-15		
	धारीवाल इंफ्रा टीपीपी	पी	यू-1	300	2850.00	3479.00	सितंबर -13	3128.00	जुलाई-13
		पी	यू-2	300			जनवरी-14		
	एमको वरोरा टीपीपी	पी	यू-2	300	3480.00	4000.00	अगस्त-13	3808.00	जून-13 (दो इकाई)
	लैंको विदर्भ टीपीपी	पी	यू-1	660	6936.00	6936.00	दिसंबर-15	3611.00	जुलाई-13
		पी	यू-2	660			अगस्त-16		
म. प्र.									
	श्रीसिंगाजी(मालवा) टीपीपी	एस	यू-1	600	4053.00	6750.00	सितंबर -13	5358.65	जून-13
		एस	यू-2	600			मार्च-14		
	सतपुरा टीपीएस एक्सटें	एस	यू-11	250	2350.00	3032.34	अक्टूबर -13	2574.17	जून-13 (दो इकाई)
	सासन यूएमपीपा	पी	यू-2	660			अक्टूबर -13	3471.00	मार्च-11 (छः इकाई)
	अनूपपुर टीपीपी फेज-।	पी	यू-1	600	6240.00	6240.00	नवंबर -14	2779.00	जुलाई-12
		पी	यू-2	600			मार्च-15		
	गोर्गा टीपीपी	पी	यू-1	660	3941.00	3941.00	जून-16	335.18	जनवरी-13
	सिओनी टीपीपी	पी	यू-1	600	3550.00	3550.00	मार्च-14	2448.00	मई -13
ओडिशा									
	देरांग टीपीपी	पी	यू-1	600	5961.00	5961.00	जनवरी-14	4547.35	जून-13
	कमलंगा टीपीपी	पी	यू-2	350	4540.00	6307.00	सितंबर -13	6189.79	जून-13
		पी	यू-3	350			दिसंबर-13		(तीन इकाई)
	झंड भारत टीपीपी	पी	यू-1	350	3185.00	3185.00	नवंबर -13	3000.00	अप्रैल-13
		पी	यू-2	350			मार्च-14		
	लैंको बाबंध	पी	यू-1	660	6930.00	6930.00	मार्च-16	4214.00	मार्च-13 (दो इकाई)
	केवीके निलांचल	पी	यू-1	350	4990.00	4990.00	दिसंबर-14	1272.53	जुलाई-13 (तीन इकाई)
पंजाब									
	गोइंदवाल साहिब	पी	यू-1	270	2622.48	2963.81	सितंबर -13	2883.11	जून-13
		पी	यू-2	270			फरवरी-14		
	राजपुरा टीपीपी(नाभा)	पी	यू-1	700	9600.00	9600.00	जनवरी-14	6355.00	जून-13
		पी	यू-2	700			अप्रैल-14		
	तलवंडी साबो	पी	यू-1	660	10250.00	10250.00	दिसंबर-13	8873.78	जून-13
		पी	यू-2	660			अप्रैल-14		
		पी	यू-3	660			जुलाई-14		
राजस्थान									
	छाबरा एक्सटें टीपीएस	एस	यू-3	250	2200.00	2990.00	सितंबर -13	2557.34	जून-13
		एस	यू-4	250			मार्च-14		
	रामगढ़ सीसीपीपी स्टे III	एस	एसटी	50	640.00	640.00	दिसंबर-13	551.95	जून-13 (जीटी+ एसटी)
	कालीसिंध टीपीपी	एस	यू-1	600	4600.00	7723.00	सितंबर -13	7085.29	जून-13

तमिलनाडु								
	नेवेली टीपीएस एक्सपैं.	सी	यू-2	250	2030.78	3027.59	मार्च-14	2324.85
	तुतीकोरेन टीपीपी	सी	यू-1	500	4909.54	6478.92	फरवरी-14	4409.31
		सी	यू-2	500			अप्रैल-14	
	वल्लूर टीपीपी फेज-	सी	यू-3	500	3086.78	3086.78	फरवरी-14	1478.16
	नार्थ चेन्नई एक्टें. टीपीएस	एस	यू-1	600	3398.00	3552.00	सितंबर -13	2046.05
	इंड बर्थ (तुतीकोरेन) टीपीपी	पी	यू-1	660	3595.00	3595.00	मार्च-16	530.00
त्रिपुरा								
	त्रिपुरा सीसीपीपी	सी	ब्लॉक-	363.3	3429.00	3429.00	अक्टूबर -13	2977.00
	मोनार्च क सीसीपीपी	सी	जीटी + एसटी	101			मई -14	572.96
उ. प्र.								
	रिहंद एसटीपीपी स्टे.-	सी	यू-6	500	6230.81	6230.81	नवंबर -13	4354.00
								मार्च-13 (दो इकाई)
	अनपारा डी टीपीपी	एस	यू- 1	500	5358.79	5358.79	अप्रैल-14	4425.51
		एस	यू- 2	500			जुलाई-14	
	प्रयागराज(बारा) टीपीपी	पी	यू-1	660	11622.27	11622.27	जुलाई-14	6753.85
		पी	यू- 2	660			दिसंबर-14	
		पी	यू- 3	660			मार्च-15	
प. बं.								
	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-।	सी	यू-1	600	4122.00	6744.99	मार्च-14	5799.59
		सी	यू-2	600			जुलाई-14	
	हृष्णिया टीपीपी	पी	यू-1	300	3097.50	3097.50	अगस्त-14	1036.91
		पी	यू-2	300			नवंबर -14	
	सी: केंद्रीय क्षेत्र, एस: राज्य क्षेत्र, पी: निजी क्षेत्र							

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में
निर्दिष्ट अनुबंध।

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ पहुँचाने वाले निर्माणाधीन न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाओं* की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का संभावित वर्ष
1	केएपीपी यू-3,4	गुजरात	केंद्रीय	1400	2015-16
2	आरएपीपी यू 7 और 8	राजस्थान	केंद्रीय	1400	2016-17
3	कुडनकुलम यू 1	तमिलनाडु	केंद्रीय	1000	2013-14
4	कुडनकुलम यू 2	तमिलनाडु	केंद्रीय	1000	2014-15
5	पीएफबीआर (कलपक्कम)	तमिलनाडु	केंद्रीय	500	2014-15
	कुल न्यूक्लीयर			5300	

* न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाएं आण्विक ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3214

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

ओडिशा में एन.टी.पी.सी. की परियोजना

†3214. श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री ओडिशा में दरलीपाली में एन.टी.पी.सी. की मेगा पॉवर परियोजना के बारे में 07 मार्च, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस परियोजना को शुरू किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

दरलीपाली में एनटीपीसी की वृहत परियोजना की भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रगति निम्नवत है:-

- 1274 निजी भूमि में से, 1205 एकड़ पर वास्तविक कब्जा मिल गया है।
- 338.97 एकड़ सरकारी भूमि में से एनटीपीसी द्वारा, 275 एकड़ भूमि के लिए राज्य सरकार को भुगतान जारी किया जा चुका है और सरकारी भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एमओईएफ) की विशेषज्ञ मूल्याकन समिति(ईएसी) द्वारा 9.1.2012 को परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश की गई है, बशर्ते कि दरलीपाली परियोजना के लिए वन स्वीकृति और संबंद्ध दुलंगा कोयला खान के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रदान की जाए।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 14.8.2013 को कुछ शर्तों के साथ 34.47 एकड़ वन भूमि के डाइवर्जन के लिए चरण-। वन स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त की है।

दरलीपाली से संबंद्ध दुलंगा कोयला खदान के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा भूमि के मुआवजे के लिए भूमि की दरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुलंगा के चरण-। वन प्रस्ताव पर 10.6.2013 को हुई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सहालकार समिति(एफएसी) में विचार-विमर्श किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त(एमओएम) 3.7.2013 को जारी किया गया था, जिसमें वन सलाहकार समिति ने ओडिशा की राज्य सरकार और क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर से खान की सीमा के बाहर 49.41 हेक्टेयर वन क्षेत्र की आवश्यकता की समीक्षा करने और उसका औचित्य बताने को कहा था। एनटीपीसी क्षेत्रीय कार्यालय(पूर्वी क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भुवनेश्वर और ओडिशा राज्य वन विभाग के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

परियोजना का निवेश अनुमोदन परियोजना और संबंद्ध दुलंगा खान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात प्रदान किया जाएगा। परियोजना को चालू करने के लिए निर्धारित समय निवेश अनुमोदन की तारीख से 52 माह है।
